13

लिखित रचना

सामान्यत: हम जो कुछ लिखते हैं, वह दूसरों के लिए होता है। कभी-कभी हम अपने लिए भी लिखते हैं। इन दोनों स्थितियों में वह आवश्यक है कि हम जो कुछ लिखें वह सुसंबद्ध और पूर्ण हो। लेखन का विषय चाहे पत्र हो, यात्रा हो या किसी स्थान व्यक्ति या कृति का वर्णन-आवश्यक जानकारी की सभी बातें उसमें रहनी चाहिएं।

हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। यद्यपि लेखन में प्रत्यक्ष रूप से संबोधित व्यक्ति का नाम नहीं होता, परंतु परोक्ष रूप से लेखक के मन में यह रहता ही है। यदि लेखक के सामने उसका पाठक रहता है तो वह तदनुकूल सामग्री का चयन करता है, उसका नियोजन करता है और इसी के अनुसार ही शब्द, वाक्य और भाषा-शैली का प्रयोग करता है।

प्रत्येक रचना का एक मुख्य उद्देश्य होता है। लेखक अपने भावों और विचारों की अभव्यक्ति के लिए विविध माध्यम अपनाता है। छोटी-बड़ी सभी रचनाओं में एकाधिक विचार या तथ्य रहते हैं। प्रत्येक विचार या तथ्य के लिए अलग अनुच्छेद रखना चाहिए। विचार-प्रधान रचना में अनुच्छेदों के शीर्षक दे देने से वह अधिक सुबोध हो जाती है। यह भी हो सकता है कि एक शीर्षक के अंतर्गत कई अनुच्छेद हों।

पूरी रचना उद्देश्य के अनुकूलन होनी चाहिए। प्रत्येक वाक्य और अनुच्छेद में भी रचना का गठन इस प्रकार हो कि एक वाक्य के कथ्य से अगले वाक्य के कथ्य का, एक अनुच्छेद से अगले अनुच्छेद का पूर्वापर संबंध बना रहे। पूर्वापर संबंध के कारण ही हम लेखक के विचारों से सहजता के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए रचना का रसास्वादन करते हैं।

अंत में जो निष्कर्ष निकाला जाए वह पूरी रचना में स्वाभाविक रूप से निकलता हो। रचना के विविध अंगों में संतुलन का होना परमावश्यक है। एक आदर्श रचना वही मानी जाती है, जिसमें किसी स्थान पर न तो आवश्यकता से अधिक और न ही आवश्यकता से कम लिखा गया हो।

कहने की आवश्यकता नहीं कि वाक्य रचना, वर्तनी मुहावरे आदि के अनुसार भाषा शुद्ध होनी चाहिए और लिखावट स्वच्छ और स्पष्ट।

(क) पत्र-लेखन

लेखन की विभिन्न विधाओं में पत्र एक अलग प्रकार की विधा है, जिसमें किसी-न-किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है। पत्र कई प्रकार के होते हैं; जैसे-घरेलू-पत्र, व्यावसायिक-पत्र, सरकारी-पत्र, संपादक के नाम पत्र। इन सभी पत्रों का स्वरूप तो अलग होता ही है, इनके लिखने और संबोधन के तरीकों और इनकी शैली में भी थोड़ा-बहुत अंतर होता है। यहाँ पर हम आवेदन-पत्र, बधाई पत्र, संवेदना-पत्र, निमंत्रण-पत्र आदि का विवेचन करेंगे।

आवेदन-पत्र व्यावसायिक और सरकारी संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं; जैसे-अवकाश के लिए आवेदन-पत्र और नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र। संपादक के नाम पत्र : पत्र-पत्रिकाओं में पाठकगण समरामयिक विषयों, ज्वलंत समस्याओं तथा समाचारों से संबंधित पत्र संपादक के नाम लिखते हैं। शिकायती पत्र संबद्ध अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों के नमूने आगे दिए जा रहे हैं; जैसे-

- अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र
- आर्थिक सहायता के लिए आवेदन-पत्र
- पद के लिए विज्ञापन तथा आवेदन पत्र
- आवेदन पत्र का प्रारूप
- बधाई-पत्र
- शुभकामना पत्र
- निमंत्रण-पत्र (विवाह पर)
- निमंत्रण-पत्र (समारोह पर)
- संवेदना-पत्र
- समस्या-पत्र (संपादक के नाम)

1. अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र

सेवा में

श्रीमान प्रधानाचार्य,

केंद्रीय विद्यालय,

टैगोर गार्डन,

नई दिल्ली।

महोदय,

निवेदन है कि कल शाम से ज्वर आने के कारण आज मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। डॉक्टर का कहना है कि मुझे ठीक होने में 3-4 दिन लगेंगे।

अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 5-12-2006 से 8-12-2006 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें।

आज्ञाकारिणी शिष्या
शकुंतला,
कक्षा : 9 ब,
दिनांक : 5-12-2006

2. आवेदन-पत्र (आर्थिक सहायता के लिए)

सेवा में
श्रीमान प्रधानाचार्य,
उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय,
माल रोड,
दिल्ली 110007

महोदय,

कल सूचनापट्ट पर एक सूचना निकली थी कि निर्धन छात्रकोष से सहायता के लिए छात्र प्रधानाचार्य को आवेदन-पत्र दें। तदनुसार मैं यह प्रार्थना-पत्र आपकी सेवा में भेज रहा हूँ।

मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैंने आठवीं कक्षा की परीक्षा 78 प्रतिशत अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की है। मेरे पिता जी एक कार्यालय में चपरासी हैं, उनकी कुल वार्षिक आय लगभग 9,5000 रुपए है। मेरा एक बड़ा भाई मेरठ विश्वविद्यालय से एम. ए. कर रहा है। मेरा छोटा भाई हसी विद्यालय में कक्षा 7 में पढ़ रहा है। इतनी कम आय में परिवार का खर्च चलाने और हम लोगों की पढ़ाई का व्यय वहन करने करने में मेरे पिता जी को बड़ी कठिनाई हो रही है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे निर्धन छात्रकोष से कम-से-कम 150 रुपए मासिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न : पिता की आय का प्रमाण-पत्र।

आज्ञाकारी शिष्य,
प्रवीण,
कक्षा : 9 अ,
दिनांक : 15-7-2006

3. पद के लिए विज्ञापन तथा आवेदन-पत्र प्रपत्र का प्रारूप

आवश्यकता है एक हिंदी आशुलिपिक की। उम्मीदवार सीनियर सेकेंड्री परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो तथा टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट और आशुलिपि 80 शब्द प्रति मिनट हो।

इस विज्ञापन के संदर्भ में प्रस्तुत है नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र/प्रपत्र का एक प्रारूप-प्रेषक:

रश्मि

बी. डी. 13, मुनीरका फ्लैट्स,

नई दिल्ली 110067

सेवा में

निदेशाक,

सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण परिषद्,

मंडी हाऊस,

नई दिल्ली 110001

विषय-हिंदी आशुलिपिक पद हेतु आवेदन।

महोदय,

'राष्ट्रीय सहारा' दिनांक 1 जनवरी, 2006 में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में हिंदी आशुलिपिक पद के लिए मैं अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। शैक्षिक एवं अन्य विवरण संलग्न हैं।

प्रार्थना है कि मुझे इस पद पर सेवा का अवसर प्रदान कर अनुगृहीत करें।

संलग्न : प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ।

भवदीया,

(रश्मि)

दिनांक : 9 जनवरी, 2006

प्रपत्र

शैक्षिक तथा अन्य विवरण

नाम : **रश्मि**

जन्मतिथि : 5 जनवरी, 1981

पता : बी. डी. 13, मुनीरका फ्लैट्स
नई दिल्ली-110067

शैक्षिक विवरण :

उत्तीर्ण परीक्षा	*बोर्ड/विश्वविद्यालय*	*वर्ष*	*अंक प्रतिशत*
सैकेंड्री	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	1996	77%
सीनियर सैकेंड्री	के. मा. शि. बो., नई दिल्ली	1998	63%

शिक्षाणेतर रुचियाँ : (क) कला शिक्षण: बाल भवन सोसायटी
(ख) रेडक्रास और समाज सेवा

आशुलिपि संबंधी प्रशिक्षण : बाई. एस. सी. ए. से 1 वर्ष का डिप्लोमा

गति : (क) हिंदी आशुलिपि 80 शब्द प्र. मि.
(ख) हिंदी टंकण 30 शब्द प्र. मि.
(ग) अंग्रेज़ी टंकण 35 शब्द प्र. मि.

अनुभव ग्रामीण प्रौद्योगिकी और लोक कार्य परिषद् में आशुलिपिक के पद पर छः मास तक अस्थायी तौर पर कार्य करने का अनुभव।

4. आवेदन-पत्र का प्रारूप

पद जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है-निम्न श्रेणी लिपिक (हिंदी)

नाम : अशोक कुमार

पिता का नाम और व्यवसाय : ब्रह्म सिंह (कृषि)

जन्म तिथि (अंकों में) : 04-04-1977

(शब्दों में) : चार अप्रैल उन्नीस सौ सतहत्तर

वर्तमान पता	:	जे-I/44/6, संगम विहार नई दिल्ली 110062
स्थायी पता	:	ग्राम-रायपुर, डा. बाबरी, तहसील-शामली, जिला-मुज़फ़्फ़र नगर, उत्तर प्रदेश-247777
क्या आप अनुसूचित जाति/ जनजाति/पिछड़ी जाति के हैं ?	:	हाँ
यदि हाँ, तो जाति का नाम लिखिए	:	अनु. जा. (जाटव)
क्या आप भारतीय नागरिक हैं ?	:	हाँ
यदि नहीं, तो अपनी नागरिकता लिखिए	:	X

अहर्ताएं

हाईस्कूल	प्रथम	1994	यू. पी. बोर्ड	हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेज़ी
इंटरमीडिएट	द्वितीय	1996	यू. पी. बोर्ड	हिंदी, अंग्रेज़ी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित
टंकण	37	1999	आई. टी. आई.	हिंदी टंकण
डिप्लोमा	श. प्र. मि. नई दिल्ली			

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदित पद के लिए निर्धारित अहर्ताएं मुझमें हैं और इस आवेदन पत्र में मैंने जो सूचनाएँ दी हैं वे सही हैं।

1. संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या 05921; जारी करने की तिथि 7.12.2006
2. संलग्नकों की संख्या : 2

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक 10.12.2006

5. बर्धा-पत्र

(क) परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर

इस तरह के पत्र किसी व्यक्ति को उसकी सफलता या किसी शुभ समाचार के अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं।

154, सेक्टर-30

फरीदाबाद।

दिनांक : 15 मई, 2006

प्रिय अरुण,

शुभाशीष!

कल पिता जी के पत्र से ज्ञात हुआ कि तुमने एस. ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हें इस सफलता के लिए मेरी हार्दिक बधाई।

मेरी शुभकामना है कि तुम जीवन में इसी तरह बराबर सफल होते रहो। यहाँ पर सब कुशल हैं।

तुम्हारा शुभेच्छू,

विशाल नागी।

(ख) बधाई-पत्र पदोन्नति पर

कौशलेंद्र पांडेय,

5/226, रिफ़ाइनरी नगर,

मथुरा, 281006 (उ. प्र.)

दिनांक : दिसंबर 7, 2006

प्रिय मित्र सुरेश,

नमस्कार!

आज के समाचार-पत्रों में छपी खबर से ज्ञात हुआ कि आपकी नियुक्ति लखनऊ जनपद में ज़िलाधीश के पद पर हुई है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें।

यह पदोन्नति आपके अथक परिश्रम, प्रतिभा, प्रशासनिक कुशलता और सद्व्यवहार के कारण हुई है। हमें पूरी आशा है कि आप अपने नए पद पर अपनी योग्यता के फलस्वरूप सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

मेरे माता-पिता आपको अपनी बधाइयाँ और शुभाषीष दे रहे हैं।

आपका अभिन्न मित्र,
कौशलेंद्र पांडेय,

सुरेश मित्तल,
न्यू अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म. प्र.)

6. शुभकामना पत्र (परीक्षा)

506/2 विशाल विहार,
पीतम पुरा,
नई दिल्ली 110088,
दिनांक : 27-6-2006

प्रिय मित्र अली,

तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम वर्ष नवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हो और तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

आशा है कि दसवीं की बोर्ड की परीक्षा में भी तुम इसी तरह बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो विद्यालय का नाम रोशन करोगे।

सस्नेह
तुम्हारा,
सुरेश।

7. निमंत्रण पत्र (विवाह पर)

निमंत्रण पत्र में किसी उत्सव, विवाह या किसी विशिष्ट समारोह में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया जाता है। ऐसे पत्र किसी एक व्यक्ति के न होकर अनेक लोगों के लिए होते हैं। अतः उसमें सामान्य कुशल समाचार नहीं दिया जाता। एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :

मेरे सुपुत्र चि. राजीव का शुभविवाह सौ. रंजना (आत्मजा श्री रवींद्र पांडेय, लखनऊ) के साथ 25 मई 2006 को संपन्न होगा। इस शुभ अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं।

पाणिग्रहण संस्कार	:	25 मई, 2006 रात्रि 10.00 बजे
विदाई	:	26 मई, 2006 प्रातः 4.00 बजे

बारात 10 बजे सवेरे मेरे आवास से श्री रामविलास के निवास स्थान ए-45/6, गोमती नगर, लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी।

उत्तरापेक्षी	दर्शनाभिलाषी
महेश चंद्र	शशि भूषण
दिनेश चंद्र	रवि भूषण
	अजय भूषण

8. निमंत्रण-पत्र (समारोह परः

जयहिंद वाचानालय (पंजीकृत)

के. के. नगर, चेन्नई :

दिनांक : 20 मई, 2006

प्रिय बंधु/श्रीमान/प्रिय/महोदय/महोदया,

आपको हम सहर्ष सूचित करना चाहते हैं कि जयहिंद वाचनालय आगामी जुलाई में पच्चीस वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर रहा है। इस उपलक्ष्य में 15 जून 2006 को प्रातः 10 बजे इस वाचनालय का रज जयंती समारोह मद्रास टाऊन हाल में धूम-धाम से मनाया जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री राघवन जी रजत जयंती के सुअवसर पर वाचनालय भवन का शिलान्यास करेंगे। साहित्यकार श्री जयकांतन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर

कई वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएँगे। इस समारोह में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थित है।

भवदीप,
(हस्ता०)
सचिव।

9. संवेदना-पत्र (निधन पर)

इस तरह के पत्र किसी दुखद अवसर पर दुःखी व्यक्ति या परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए लिखे जाते हैं। एक नमूना

15 ई, कमला नगर,
दिल्ली 110007
दिनांक : 14-2-2006

प्रिय महेश

तुम्हारे पिताजी के निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। उनके असामयिक निधन से हम सभी लोग शोकसंतप्त हैं। हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार के सभी लोगों की इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

तुम्हारा,
रमेश।

10. शिकायती-पत्र

(स्वास्थ्य अधिकारी के नाम)

प्रेषक :
अध्यक्ष,
ब्लाक हितकारिणी समिति,
15, मानवीय नगर,
नई दिल्ली 110017
दिनांक : 15-4-2006

सेवा में
स्वास्थ्य अधिकारी
नगर महापालिका
नई दिल्ली।

महोदय

निवेदन है कि आजकल हमारे मुहल्ले में सफ़ाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। सफ़ाई कर्मचारी नालियों की सफ़ाई ठीक से नहीं करते हैं। सड़कों हैं। सड़कों पर कूड़ा कई दिनों तक पड़ा रहा है। कभी-कभी तो नालियाँ बंद हो जाती हैं और गंदा पानी सड़क पर फैलकर बहने लगता है। इससे मुहल्ले में बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में निरीक्षक को उचित निर्देश देकर इस अव्यवस्था को दूर कराने की कृपा करें।

भवदीय,
(डॉ. शिव शंकर)।

11. समस्या-पत्र (संपादक के नाम)

सेवा में,
संपादक,
'जनसत्ता',
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग,
नई दिल्ली-110001

प्रिय महोदय

मैं आपके लोक प्रिय पत्र द्वारा मथुरा नगरी की दुर्दशा के संबंध में प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। यहाँ बरसात के दिनों में सड़कों पर कीचड़ हो जाता है। जगह-जगह गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं, बाज़ारों में आवारा पशु इधर-उधर घूम रहे होते हैं और जगह-जगह टूटी-फुटी सड़कें मिलती हैं। मथुरा एक प्राचीन धार्मिक नगरी है। इसमें हर साल हज़ारों तीर्थयात्री आते हैं। पर्यटकों के लिए यह आकर्षक स्थल है लेकिन प्रशासन द्वारा सफ़ाई की ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता।

यहाँ के अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों तथा दवाइयों के अभाव में गरीब मरीज़ों को इस अस्पताल से कोई लाभ नहीं है। लोगों का कहना है कि गरीबों के लिए आने वाली दवाइयाँ गायब कर दी जाती हैं। गरीब आदमी भी सरकारी अस्पताल जाने से कतराता है, क्योंकि वहाँ उसका कोई सुनने वाला तो होता नहीं, जिससे शहर में प्राइवेट डॉक्टरों की चाँदी हो रही है। शहर में मनोरंजन के लिए एक भी अच्छा पार्क नहीं है। पार्कों में सफ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जगह-जगह पशु घास चरते दिखाई देंगे। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देगा ?

लिखित रचना

भवदीय,

सुरेश वधवा,

695, मारूगली,

मथुरा, उ. प्र.

दिनांक : 24 मई, 2006

(ख) निबंध लेखन

लिखित अभिव्यक्ति की एक महत्त्वपूर्ण विधा है निबंध। निबंध का अर्थ है-अच्छी तरह बँधा या कसा हुआ अर्थात् जिस रचना में भाव और विचार भली-भाँति निबंध हों, गूँथे हुए हों। यह तभी संभव है जब निबंध लेखक को विषय के विभिन्न पक्षों की सम्यक् जानकारी हो, उसमें सरल, सुबोध एवं प्रांजल भाषा प्रयोग की क्षमता हो तथा वह अपने भावों, विचारों को क्रमबद्ध और सुसंबद्ध रूप से अपनी निजी शैली में लिपिबद्ध कर सकता हो। परंतु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है, निबंध में लेखक का व्यक्तित्व अभिव्यक्ति हो। इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों को निबंध रचना का पर्याप्त अभ्यास कराया जाए। इस स्तर तक आते-आते छात्रों को वाक्य रचना, अनुच्छेद-लेखन तथा अन्य प्रकार के निर्देशित लेखन का कुछ-न-कुछ अभ्यास हो चुका होता है, जो अच्छे निबंध लेखन का आधार बनता है। निबंध लेखन बच्चों की रचनात्मक शक्ति को विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए विद्यालय में इस स्तर पर वैचारिक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि सभी प्रकार के निबंधों का लेखन कराया जाए। निबंधों के प्रकार तथा लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार निबंध की संरचना परिवर्तित होती रहती है। इसलिए उसकी कोई सर्वसामान्य संरचना नहीं हो सकती। निबंध-लेखन से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना अपेक्षित है-

1. **कसावट** - निबंध की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है उसकी संरचना की कसावट। निबंध के विचार और भाषा, दोनों में ही इस गुण की अपेक्षा की जाती है। निबंध लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसमें व्यक्त भाव एवं विचार एक निश्चित क्रम में हों और परस्पर जुड़े हों। अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पढ़ने के बाद पाठक किसी निष्कर्ष पर पहुँच सके।

2. **विषयानुकूल एवं प्रभावशाली भाषा** - निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं होती। जिस भी विषय को लेकर निबंध लिखा जाता है, लेखक की भाषा उसी के अनुरूप होनी चाहिए और उसे पाठक को दृष्टि में रखते हुए अपनी शैली विकसित करनी चाहिए। निबंध लिखते समय यथास्थान उदाहरणों उद्धारणों, दृष्टांतों, लोकोक्तियों, मुहावरों, सूक्तियों का प्रयोग निबंध को रोचक एवं प्रभावी बनता है। इसके लिए सतत् पठन, चिंतन एवं विचार-विमर्श अपेक्षित है।

3. **संक्षिप्तता** - निबंध में संक्षिप्तता का गुण भी होना चाहिए। निबंध में कसावट तभी संभव हो सकती है जब निबंध लिखने से पूर्व निबंध की रूपरेखा बना ली जाए। निबंध का कलेवर ऐसा हो कि पाठक की रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहे। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों से निबंध संबंधी जानकारी प्राप्त करना, अध्यापक या सहपाठियों के साथ चर्चा कर विषय सामग्री का संकलन तथा चयन कर लेना चाहिए। निबंध की रूपरेखा को तीन अंगों में विभाजित किया जा सकता है-प्रस्तावना,मुख्य अंश और उपसंहार।

   (क) प्रस्तावना - प्रस्तावना निबंध की आधारशिला है। इसलिए उसका संक्षिप्त एवं प्रभावी होना अत्यावश्यक है। इसमें निबंध के विषय के प्रमुख बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तावना ऐसी हो कि उसे पढ़कर पाठक के मन में आगे पढ़ने का कुतूहल उत्पन्न हो। निबंध का प्रथम अनुच्छेद ही उसकी प्रस्तावना होती है।

   (ख) मुख्य अंश - प्रस्तावना के बाद निबंध का मुख्य अंश आता है। इसमें विषयवस्तु को अलग-अलग अनुच्छेदों में बाँटकर अपनी बात कहनी चाहिए। सामान्यतः निबंध के मुख्य अंश में परस्पर संबद्ध चार-पाँच छोटे अनुच्छेद होने चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही भाव या विचार रखना चाहिए। विचार बदलने के साथ-साथ अनुच्छेद भी बदल देना चाहिए। प्रस्तुति में तर्कसंगत और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए।

   (ग) उपसंहार - उपसंहार निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें विषयवस्तु विवेचन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। निष्कर्ष में लेखकीय विचार या प्रतिक्रिया भी हो सकती है। उपसंहार का महत्त्वपूर्ण गुण है-पाठक पर स्थायी प्रभाव डालने की क्षमता इसके लिए आवश्यक है कि उपसंहार संक्षिप्त, सुगठित स्पष्ट तथा तर्कसंगत हो। उदाहरण के लिए आगे कुछ निबंध और कुछ निबंधों की रूपरेखाएँ दी जा रही हैं।

कंम्यूटर आज की ज़रूरत

आज सर्वत्र कंप्यूटर की चर्चा है। समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो आदि सभी इसके प्रचार-प्रसार में अग्रसर हैं। निर्विवाद रूप से कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। ज्यों-ज्यों विविध क्षेत्रों में विज्ञान का प्रसार हो रहा है, कंप्यूटर की उपयोगिता उसकी व्यापकता, लोकप्रियता और आवश्यकता हमारे समस्त सामाजिक-व्यापारिक जीवन में बढ़ती जा रही है।

कंप्यूटर विज्ञान ने आज साधारण से साधारण और उच्च से उच्च व्यक्ति तथा वर्ग को इतना प्रभावित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में उसके बारे में जानने या उसे सीखन की इच्छा पैदा हो गई है। परिणामस्वरूप देश के सभी छोटे बड़े शहरों में हर स्तर पर कंप्यूटर प्रशिक्षण के संस्थान खुल गए हैं। स्कूलों के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर कोर्स को विशेष स्थान मिल रहा है। समाचार पत्रों और रोज़गार समाचारों में कंप्यूटरों-प्रशिक्षणों के लिए रिक्त स्थान के विज्ञापन भरे रहते हैं। इस बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोटे बड़े सभी स्तर के कंप्यूटरों का निर्माण भारत में हो रहा है।

कंप्यूटर क्या है ? वस्तुतः कंप्यूटर ऐसे यांत्रिक मस्तिष्कों का रूपात्मक और समन्वयात्मक योग है, जो तीव्र गति से कम से कम समय में अधिक से अधिक काम कर सकता है। गणना के क्षेत्र में इसका विशेष महत्त्व है। विज्ञान ने अनेक गणक यंत्रों का आविष्कार किया है, किंतु कंप्यूटर की तुलना किसी से भी संभव नहीं है। चार्ल्स बेवेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणित की गणना को सुकर करने वाला यह यंत्र बनाया। कंप्यूटर मनुष्य का ऐसा आज्ञाकारी सेवक है कि इसे मनुष्य जितना और जैसा काम करने को कहता है, वह उसे उतना ही सही रूप में करता है।

आज कंप्यूटर की उपयोगिता सर्वज्ञ व्याप्त है। कल कारखानों, व्यापारिक संस्थानों, उत्पादन केंद्रों, रेलवे-स्टेशनों, हवाई-अड्डों से लेकर शैक्षिक संस्थाओं और चिकित्सा केंद्रों में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता की धाक जमा ली है। बैंकों के खातों के संचालन से लेकर समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के प्रकाशन में भी कंप्यूटर विशेष भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

कंप्यूटर संचार का भी एक महत्त्वपूर्ण साधन है। कंप्यूटर नेटवर्क (इंटरनेट) ने विश्व के समस्त देशों को आपस में जोड़ दिया है। आज घर बैठे ही विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात करना या संदेश भेजना कंप्यूटर के कारण ही संभव हुआ है। अंतरिक्ष विज्ञान और मौसम विज्ञान में भी कंप्यूटर की अहम भूमिका है। अंतरिक्ष के व्यापक चित्र लेने तथा उनका विश्लेषण करने का कार्य कंप्यूटर ही करता है।

फ़ाइलिंग की समस्या बैंक प्रणाली का सिरदर्द रही है, कितु आज कंप्यूटर ने इस सिरदर्दी को दूर कर दिया है। फ़ाइलिंग का स्थान कंप्यूटर फ्लॉपी ने ले लिया है। एक अलमारी में यदि सौ फ़ाइलें आती हैं तो इतने ही स्थान में एक सहस्त्र फ्लॉपी रखी जा सकती है।

भवन-निर्माण, क्षेत्र-विकास, परिसर-नियोजन आदि इन सबके लिए चाहिए एक शिल्पकार और शिल्पकार को चाहिए पर्याप्त सम। कंप्यूटर का डिज़ाइनिंग प्रोग्राम क्षेत्र को लंबाई चौड़ाई और आँकड़ों के अनुसार कुछ ही घंटों में नक्शा तैयार कर देता है। इतना ही नहीं नवीन मौलिक डिज़ाइन की तद्‌भावना में तो कंप्यूटर एक कलाकार की भूमिका निभाता है।

चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर जीवन-रक्षक कवच बनकर अवतरित हुआ है। शरीर में रासायनिक परिवर्तन स्नायुओं की गतिविधि रोगों का निदान और औषधियों का विधान शल्यक्रिया और अंगरोपणों का निरीक्षण सब कंप्यूटर की जिम्मेदारी है।

कंप्यूटर को रोबोट जैसी मशीन से जोड़कर कई श्रम साध्य कार्य कराए जा सकते हैं; जैसे वेल्डिंग, पेंगि, कवरा साफड करना, परमाणु भट्‌ठी के पास काम करना, भारी सामान को सँभालना आदि। युद्‌ध-क्षेत्र में छोटे-छोटे कंप्यूटर जिस कुशलता से जासूसी का कार्य कर रहे हैं! एक समय वह हमारी कल्पना से भी परे की बात थी।

यह कहना गलत न होगा कि कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता है। फिर भी कंप्यूटर केवल यंत्र है, जिसके निर्माण के पीछे मानव मस्तिष्क ही कार्य करता है।

प्रदूषण : कारण और निवारण

प्रकृति ने हमारे लिए स्वस्थ एवं सुखद पर्यावरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने भौतिक सुखों की होड़ में उसे दूषित कर दिया है। वाहनों तथा कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएँ रासायनिक गैस एवं कोलाहल पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित कर रहे हैं। मनुष्य के स्वार्थ के कारण और प्राकृतिक संपदा के शोषण और दोहन के कारण इस प्रदूषण के परिणाम और भी भयावह होते जा रहे हैं।

प्रदूषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं-जल प्रदूषण, वायु-प्रदूषण, ध्वनि-प्रदूषण तथा अणु प्रदूषण। हर प्रकार का प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक है तथा किसी न किसी रूप में रोगों की वृद्‌धि करता है, जीवन में तनाव तथा मानसिक और शारीरिक व्यग्रता को बढ़ावा देता है।

प्रदूषण के अनेक कारण हैं। वायु हमारे प्राणों का आधार है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना और कार्बन-डाइऑक्साइड तथा कार्बन-मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों की मात्रा का बढ़ना ही वायु प्रदूषण का लक्षण है। आज वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। नगरों महानगरों में वाहनों द्‌वारा छोड़े गए धुएँ तथा कल कारखानों की चिमनियों से निकले धुएँ से वायु प्रदूषण हो रहा है। वे सभी व्यवसाय जिनमें प्रचुर मात्रा में धूल उड़ती है जैसे-सीमेंट, चूना, खनिज आदि तथा वे व्यवसाय जो दुर्गंधयुक्त भाप उत्पन्न करते हैं; जैसे-पशुवध, चमड़ा तैयार करना, साबुन या चर्बी के उद्‌योग आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। इस प्रदूषित वायु के कारण अनेक रोग जैसे-रक्तचाप, हृदय रोग, श्वास रोग

तथा नेत्र रोग आदि बढ़ रहे हैं। बालू के महीन कणों से ही तपेदिक आदि रोगों के होने की संभावना रहती है।

जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। स्वच्छ एवं निरापद पीने का पानी न मिलने के कारण, गाँवों तथा शहरों की घनी आबादी में रहने वाले लोग अनेक गंभीर रोगों के शिकार हो रहे हैं। प्रतिवर्ष अनेक व्यक्ति जल-प्रदूषण से उत्पन्न रोगों के कारण मर रहे हैं। गाँवों तथा शहरों की गंदी नालियों का पानी जलाशय नदी आदि में गिरकर पानी को प्रदूषित करता है। मनुष्य द्वारा जल स्त्रोतों के पास मल-मूत्र त्याग करने, तालाबों आदि में पालतू जानवर नहलाने, तालाब या नदियों के किनारे कपड़े धोने से जल प्रदूषित होता है। इसी तरह आसपास के वृक्षों के पत्तों तथा अन्य कूड़े-करकटों के जल में गिरकर सड़ने, कारखाने से निकलने वाले अवशिष्ट विषैले पदार्थों एवं गंदे जल के नदियों में गिराने आदि से जल-प्रदूषण होता है। जल-प्रदूषण के कारण होने वाले अनेक भयंकर रोगों; जैसे-हैजा, टाइफॉइड, पीलिया आदि से लोग ग्रसित हो जाते हैं।

जल-प्रदूषण के समान ही ध्वनि-प्रदूषण भी आधुनिक जीवन की समस्या है। वह आवाज़ जो असुविधाजनक हो, अनुपयोगी हो तथा अनावश्यक महसूस होती हो-शोर है। यह शोर ही ध्वनि-प्रदूषण का कारण है। शोर कई तरह से उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति के लिए संगीत आनंददायक है, किंतु वही संगीत दूसरे व्यक्ति के लिए शोर हो सकता है। रेलगाड़ी की आवाज़, सड़कों पर मोटरों की पों-पों, ट्रकों की धड़-धड़, कारखानों में मशीनों के चलने की तेज़ आवाज़, हवाई जहाज़ों का भीषण गर्जन, सड़कों पर विज्ञापन का प्रचार करने वाले लाउड स्पीकरों का शोर, और टी. वी. एवं रेडियो का शोर भी ध्वनि-प्रदूषण से कारण है। ध्वनि-प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ तक कि अधिक समय तक ज़्यादा शोर में रहने के कारण कई बार लोगों की श्रवण शक्ति खराब हो जाती है। ध्वनि-प्रदूषण से मनुष्य केवल श्रवण दोष से ग्रसित ही नहीं होता, उसे रक्तवाप, अलसर, अनिद्रा के रोगों का शिकार भी होना पड़ता है।

आज संसार के सभी देशों में आणविक क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा मची हुई है ताकि दूसरा देश उन्हें कमज़ोर न समझे। अणु शक्ति के निश्चित अवधि से पूर्व निष्क्रिय करने तथा शत्रु देश पर उसका प्रयोग करने के कारण आणविक प्रदूषण होता है। इससे लाखों लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं, अनेक अपंग हो जाते हैं, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो या ध्वनि और अणु का हो, हमारे लिए अत्यधिक हानिकारक है।

इस समस्या का निवारण हर देश की सरकार और जनता दोनों ही कर रही हैं। फिर भी हमारी दृष्टि में प्रदूषण के निवारण के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं-वायु-प्रदूषण को

अधिकाधिक वनों का संरक्षण करके रोका जा सकता है, क्योंकि वन कार्बन-डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन पदान करते हैं। भू-रखलन, भू-क्षरण, रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए, जल स्त्रोतों को सूखने से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। इसके लिए वायु-प्रदूषण के दुष्परिणामों से भावी पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए हमें अधिक वृक्ष लगाने होंगे। वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाने होंगे। बदबू फैलाने वाले उद्‌योगों पर नियंत्रण करना होगा। वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाने होंगे। कारखानों में ऊँची-ऊँची चिमनियाँ तथा राख एकत्रित करने की मशीनों का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

जल-प्रदूषण को रोकने के लिए तालाबों, नदियों, कुओं आदि के जल की समय-समय पर सफाई की जाए, रासायनिक क्रियाओं द्‌वारा परिशोषन किया जाए। इसका प्रावधान जल-प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में किया गया है।

ध्वनि-प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक ध्वनि-प्रसारण यंत्रों (लाउड स्पीकरों) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिए जाएँ। यही नहीं, जिन कारणों से शोर बढ़ता है, उन पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए।

उपर्युक्त उपायों को कार्यान्वित करने से प्रदूषण का निराकरण और निवारण किया जा सकता है। इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर आवश्यक उपाय करने चाहिए।

बढ़ती जनसंख्या : घटते संसाधन

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसके सामने प्रदूषण, अशिक्षा और बढ़ती जनसंख्या आदि अनेक समस्याएँ हैं। इन समस्याओं में बढ़ती हुई जनसंख्या देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधक है, जिसके कारण सरकार की अच्छी-से-अच्छी योजनाएँ भी विफल होती जा रही हैं।

बढ़ती जनसंख्या के कारण देश के सभी नागरिकों को सर्वाधिक आवश्यक वस्तुएँ-अन्न, जल, वस्त्र और आवास आदि की सुविधाएँ भी उलब्ध नहीं हो पातीं। आज देश के लाखों लोगों को न भर पेट भोजन मिल पाता है, न पीने को स्वच्छ जल, न तन ढकने को वस्त्र और न रहने के लिए घर।

हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि, उद्‌योग और व्यवसाय आदि अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलता पाई है। देश की अधिकांश उपजाऊ भूमि पर खेती हो रही है। सिंचाई के लिए देश की अनेक नदियों का उपयोग किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर और रिहंद आदि अनेक बाँध बन चुके हैं, जो देश की कृषि को संपन्न बनाने में सहायक सिद्‌ध हो रहे हैं। देश के अनेक भागों में नहरों का जल बिछ गया

है। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर, नलकूप और पंपिंग सेट आदि नए-नए संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। वैज्ञानिकों ने नई-से-नई किस्म की खाद और बीज किसानों तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया है। अनेक किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का प्रशिक्षण भी ले चुके हैं और अपनी बुद्धि तथा परिश्रम के जल पर अधिक-से-अधिक अन्न भी उपजा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद कृषि के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप ही देश में हरित क्रांति संभव हुई है। इतना सब होने पर भी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण समस्त कृषि-संबंधी उपलब्धियों कम जान पड़ती हैं। कैसी विडंबना है, अन्न उत्पन्न करने वाला खेतिहर ही आज भूखा है। देश के कुछ भागों में तो जनता आज भी भूख के कारण दम तोड़ देती है।

स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में यातायात के साधनों का भी बहुत विकास हुआ है। साइकिल, स्कूटर, कार, बस, रेल आदि ने मनुष्य के आवागमन को गति प्रदान की है। देश की सड़कों पर लाखों स्कूटर, कारें और बसें दिन-रात दौड़ती हैं। फिर भी देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, उस गीत से देश में यातायात के संसाधन नहीं बढ़ पा रहे हैं। बसों और रेलगाड़ियों में लोगों को भयंकर भीड़ का सामना करना पड़ता हैं। नौकरी करने वालों को अनेक बार बसों और रेलगाड़ियों में यात्राएँ खड़े-खड़े ही करनी पड़ती हैं। विद्यालयों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ रही है, किंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण लाखों बच्चों की विद्यालय में प्रवेश ही नहीं मिल पाता। शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोई भी देश जब शिक्षित बेरोज़गार नवयवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो देश में अनेक सामाजिक बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं, जो देश के लिए खतरा बन जाती हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ जो अन्य अनेक छोटी-छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके कारण देश की प्रगति में बाधा पड़ती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही हम अपने जीवन को सुखी नहीं बना पाते।

जनसंख्या की दृष्टि से आज हमारे देश का स्थान विश्व में दूसरा है। आज हमारे देश की आबादी एक अरब (सौ करोड़) से भी अधिक है। स्वतंत्रता के बाद देश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ी है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह देश की जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर गंभीरता से विचार करे और ऐसे प्रयत्न करे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

अज्ञान के अंधकार में फँसे हमारे देश के अधिकांश नागरिक अपनी संतान के जीवन-स्तर को ऊँचा नहीं उठा पाते। अज्ञान ही अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को जन्म देता है। गली-सड़ी रूढ़ियों और अंधविश्वासों में फँसे लोग देश के विकास में सहायक नहीं हो सकते। पुत्र प्राप्ति की कामना और बहु-विवाह प्रथा की जनसंख्या बृद्धि के कारण हैं, जिन्हें समय रहते रोकना होगा।

उपर्युक्त अनेक समस्याओं के मूल में बढ़ती जनसंख्या ही है। हमें जनसंख्या वृद्धि पर

नियंत्रण के लिए जन-आंदोलन चलाने होंगे। परिवार-नियोजन और परिवार-कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाना होगा। बाल-विवाह और बहु-विवाह प्रथाओं को रोकना होगा। सरकार ने देश के प्रत्येक प्रांत में लोगों को अधिकाधिक जानकारी देने के लिए तथा उन्हें जागरूक बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं ताकि देश का प्रत्येक नागरिक इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो सके। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रत्येक गाँव में सरकार की ओर से प्रशिक्षित कर्मचारी भी उललब्ध हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं से हमारी जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ कमी आई है। सरकार के पूरी सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब सरकारी योजनाओं को जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो।

बढ़ती जनसंख्या के कारण आम आदमी की आय में जो कमी आती जा रही है, उसे भी रोकना आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अब हमें युद्ध-स्तर पर काम करना होगा। प्रत्येक वयस्क को इस योजना के प्रति जागरूक करना होगा। शिक्षित युवक और युवतियों को गाँवों, कस्बों और छोटे-बड़े शहरों में जाकर जनता को सचेत करना होगा, तभी हमें सफलता मिल सकेगी।

जनसंख्या वृद्धि आज के युग की सर्वाधिक गंभीर समस्या है। यदि हम अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और देश का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या वृद्धि के राक्षस से लड़ना होगा। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य भी है और धर्म कि वह जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्राणपण से जुट जाए। आज के युग में यही सच्ची देशभक्ति है।

मनुष्य और विज्ञान

विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है-विशेष ज्ञान। मनुष्य प्राचीन काल से ही नए-नए आविष्कार करके, विकास की सीढ़ियाँ तय करता आ रहा है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह विज्ञान का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियों के प्रभाव को देखा जा सकता है। विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों ने मनुष्य जीवन को सुख-सुविधामय बना दिया है।

आज संसार के सभी देशों में औद्योगीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। विविध वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी आविष्कारों के सहारे के बिना इस होड़ में विजय नहीं पाई जा सकती। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ विज्ञान न पहुँचा हो-भोजन, वस्त्र, मकान, दुकान यहाँ तक कि आसमॎन सब में विज्ञान का ही बोलबाला है। भोजन बनाने के उपकरण, सिंथेटिक वस्त्र, भवन-निर्माण में अभियांत्रिकी, व्यावसायिक कैलकुलेटर, कंप्यूटर तथा अंतरिक्ष में उपग्रह सभी विज्ञान की ही देन हैं। आज मनुष्य घर बैठे ही देश-विदेश में घटित घटनाएँ देख सकता है, रेडियो द्वारा खबरें, संगीत सुन सकता है, विद्युत के आविष्कार

से अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है और अपने घर को वातानुकूलित बना सकता है। आज ऐसा लगता है कि अगर वैज्ञानिक आविष्कारों को मनुष्य जीवन से हटा दिया जाए तो मनुष्य जीवन एकदम शून्य हो जाएगा।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी मनुष्य ने अत्यधिक प्रगति की है। आज मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से चेचक, टी. वी. आदि भयंकर रोगों को जड़ से ही समाप्त कर दिया है तथा हृदय एवं मस्तिष्क के ऑपरेशन भी संभव बना दिए हैं। कैंसर जैसा भयंकर रोग अब इतना असाध्य नहीं रहा है। आज विज्ञान ने अंधों को आँखें दी हैं, बहरों को कान। यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा सभी अंगों को सुंदर रूप प्रदान किया जा रहा है।

यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य को बहुत अधिक सुख-सुविधाएँ प्रदान की हैं। प्राचीनकाल में लंबी दूरियाँ तय करने में मनुष्य को वर्षों लग जाते थे, अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन आज मोटरकार, रेलगाड़ी और वायुयान की सहायता से हज़ारों मील की दूरियाँ कुछ ही घंटों में तय कर ली जाती हैं। जलयान द्वारा बड़े से बड़े समुद्र को पार करके किसी भी देश में पहुँचा जा सकता है। इन वैज्ञानिक साधनों ने विश्व के देशों को बहुत पास ला दिया है। दूरी की दृष्टि से आज अमरीका, चीन, जापान, रूस तथा यूरोप के सभी देश वैसे ही हैं; जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता।

टेलीफोन का आविष्कार तो मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। हज़ारों मील दूर बैठे हुए मनुष्य से हम टेलीफ़ोन से बातचीत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब टेलीफ़ोन पर बात करने वाले एक-दूसरे को देख भी सकते हैं। फ़ैक्स, ई-मेल, नेट के आविष्कारों ने तो संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं।

आज मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में कर लिया है पर उसकी इसी मुट्ठी से बहुत कुछ रेत की तरह फिसलता जा रहा है, इसलिए विज्ञान वरदान ही न रहकर किसी न किसी मायने में अभिशाप भी बन गया है। इसका कारण यह है कि एक ओर मनुष्य जहाँ विज्ञान का उपयोग अपने हित में कर रहा है, वही दूसरी ओर भयंकर अस्त्र-शस्त्रों द्वारा मनुष्य की सभ्ययता, संस्कृति और उसकी अबतक अर्जित समस्त पूँजी को भस्मीभूत कर देने की तैयारी भी कर रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसे अणुबमों का आविष्कार किया है कि दुर्भाग्यवश यदि कभी उनका विस्फोट हुआ तो देश के देश काल के गाल में चले जाएँगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमरीका ने जापान पर परमाणु बमों का प्रयोग किया था, जिसके दुष्परिणाम आज भी वहाँ के लोग भोग रहे हैं।

अतः विज्ञान के संहारक अस्त्र-शस्त्रों ने उसे हमारे लिए अभिशाप बना दिया है। आज इतने घातक हथियारों का निर्माण हो चुका है और इतने सहायक रसायनों का पता लगाया जा चुका है कि सारा संसार मिनटों में नष्ट किया जा सकता है। विज्ञान को अभिशाप से बचाने

के लिए विश्व व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। नई व्यवस्था में हथियारों की होड़ समाप्त होगी और तभी विज्ञान अभिशाप कहलाने के कंलक से बच सकेगा और मानवता के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकेगा। यदि आज मनुष्य विज्ञान के बढ़ते चरणों को सही दिशा में नहीं ले जाता तो यह आशंका है कि विज्ञान का वरदहस्त उसके लिए कहीं भस्मासुरी हस्त न बन जाए।

भूकंप-त्रासदी

प्रकृति का स्वभाव बड़ा विचित्र है-कभी कल्याणकारी तो कभी विनाशकारी। प्रकृति कब, कैसे और क्या रूप धारण कर लेगी, इसे समझ पाना अभी तक मनुष्य के बस की बात नहीं है। ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के कारण यह कहा जाता है कि आज मनुष्य ने प्रकृति के सभी रहस्यों को जान लिया है और सुलझा लिया है किंतु यह बात सच नहीं जान पड़ती। मौसम-विज्ञानी घोषणा करते हैं कि अगले चौबीस घंटों में तेज वर्षा होगी या कड़ाके की ठंड पड़ेगी, किंतु होता कुछ और ही है। वर्षा और ठंड के स्थान पर चिलचिलाती धूप खिल उठती है। विज्ञान और वैज्ञानिक की जानकारियों और सफलताओं का सारा दंभ धरा का धरा रह जाता है। सच तो यह है कि प्रकृति अनंत है और उसका स्वभाव अबूझ। बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप प्रकृति के विनाशकारी रूप के ही पर्याय हैं जो असमय मानव जीवन में हाहाकार मचा देते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप ही सबसे अधिक विनाशकारी होता है। सचमुच भूकंप विनाश का दूसरा नाम है। इसके कारण जहाँ लाखों मकान धराशायी हो जाते हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग असमय ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। कितने अपाहिज और लूले-लँगड़े हों वैसा जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। कभी-कभी तो पूरा शहर ही धरती के गर्भ में समा जाता है और नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं। भूतल पर नए भू-आकार जन्म ले लेते हैं; जैसे कि द्वीप, झील, पठार आदि। कभी-कभी जलाच्छादित भूमि समुद्र से बाहर निकल आती है। भूतल पर आए परिवर्तन मनुष्य के जीवन को भी प्रभावित करते हैं।

भूकंप शब्द का अर्थ होता है-पृथ्वी का हिलना। पृथ्वी के गर्भ में किस प्रकार की हलचल के कारण जब धरती का कोई भाग हिलने लगता है, कंपित होने लगता है तो उसे भूकंप की संज्ञा दी जाती है। अधिकतर कंपन हलके होते हैं और उनका पता नहीं चलता, न ही उनका हमारे जीवन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है। मुख्य रूप से हम पृथ्वी के उन झटकों को ही भूकंप कहते हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं। भूकंप के मुख्य कारणों में पृथ्वी के भीतर की चट्टानों का हिलना ज्वालामुखी का फटना आदि हैं। इनके अतिरिक्त भू-रखलन, बम फटने तथा भारी वाहनों या रेलगाड़ियों की तीव्र गति से भी कंपन पैदा होते हैं।

देश के इतिहास में सबसे भयानक भूकंप 11 अक्तूबर 1737 में बंगाल में आया था जिसमें लगभग तीन लाख लोग काल के गाल में समा गए थे। महाराष्ट्र के लातुर और उस्मानाबाद

ज़िलों में आए विनाशकारी भूकंप ने करीब 40 गाँवों में भयानक तबाही मचाई। इसी कड़ी में 26 जनवरी 2001 का दिन भारतीय गणतंत्र में काला दिन बन गया। उस दिन सुबह जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस मना रहा था, प्रकृति के प्रलयंकारी तांडव ने भूकंप का रूप लेकर गुजरात को धर दबोचा। देखते ही देखते भुज, अंजार और भचाऊ क्षेत्र कब्रिस्तान में बदल गए। गुजरात का वैभव कुछ ही क्षणों में खंडाहरों में परिवर्तित हो गया। बहुमंजिली इमारतें देखती ही देखते मलबे के ढेर में बदल गईं। चारों ओर चीख–पुकार, बदहवासी और लाचारी का आलम था। अचानक हुई इस विनाशलीला ने लोगों के कंठ से वाणी और आँख से आँसू ही छीन लिए।

रेक्टर पैमाने पर गुजरात के इस भूकंप की तीव्रता 6.9 थी। इसका केंद्र भुज से 20 कि.मी. उत्तर–पूर्व में था। इस त्रासदी में हज़ारों की संख्या में लोग काल कवलित हो गए और कई हज़ार घायल हो गए, और लगभग एक लाख लोग बेघर हो गए। सारा देश इस त्रासदी में गुजरात के साथ था। सर्पप्रथम क्षेत्रीय लोगों और स्वयं सेवी संस्थाओं ने राहत और बचाव कार्य आरंभ किया। मीडिया की अहम भूमिका ने त्रासदी की गंभीरता का सही–सही प्रसारण कर भारत सरकार को इकझोरा और भारत सहित समूचे विश्व को सहायता के लिए उद्वेलित कर दिया। सारा जनमानस सहायता के लिए उमड़ पड़ा। भारत के कोने–कोने तथा विश्व के अनेक देशों से सहायता सामग्री का अंबार लग गया। सहायता के लिए धन–राशि के साथ–साथ अन्य आवश्यक सामग्री भी पहुँचने लगी। देश की तीनों सेनाओं के सैनिक तथा कई समाज सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता भी सहायता कार्य में जुट गए।

इस त्रासदी में करोड़ों रुपए की निजी तथा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान आँका गया है।

क्या मनुष्य सदैव इस विनाशलीला का मूकदर्शक बना रहेगा, इस त्रासदी को भोगता रहेगा? यद्‌यपि विज्ञान ने भूकंप की पूर्व सूचना देने के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की है, उपग्रह भी इस दिशा में काफी सहायक हो रहे हैं। तथापि इन भूकंपों को कैसे रोका जा सकता है इस दिशा में अभी तक कोई निर्णायक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आज तो स्थिति यह है कि विज्ञान जबतक कोई और नया चमत्कार न दिखला दे, तबतक मनुष्य को भूकंप की त्रासदी को किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ेगा। आशा है कि निकट भविष्य में विज्ञान कोई ऐसा चमत्कार दिखाएगा, जिससे मानव जाति इस त्रासदी से मुक्त हो सकेगी।

मेरा जीवन लक्ष्य

"माँ, माँ, मैं ट्रैफ़िक पुलिसमैन बनूँगा।" मैं घर में घुसते ही चिल्लाया। माँ के साथ माँ की सखियाँ बैठी थीं। यह सुनते ही सभी हँस पड़ीं। माँ ने मुझे गोद में बैठाया और पूछा–"ट्रैफ़िक पुलिसमैन ही क्यों?" मैं तब चार वर्ष का था। पिता जी के साथ बाज़ार गया तो चौराहे पर

ट्रैफ़िक पुलिसमैन को देखा। उसकी वर्दी और आगे-पीछे घूमती हुई गाड़ियों ने मुझे प्रभावित कर दिया और तभी शायद मन में ट्रैफिक पुलिसमैन बनने की इच्छा ने अँगड़ाई ली। कुछ और बड़ा हुआ तो अभिलाषा उत्पन्न हुई अभियंता बनने की, क्योंकि पिता जी अभियंता थे। घर में कोई चीज़ खराब हो, झट पिता जी के सामने हाज़िर। पिता जी भी उसे शीघ्र ठीक कर देते। तो क्यों न जगती ऐसी अभिलाषा! ट्रैफ़िक पुलिसमैन बनने की कामना तो न जाने कब से तिरोहित हो चुकी थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और उसी के साथ न जाने कितनी कामनाओं ने करवटें बदली। फिर एक समय आया कि जाने-अनजाने ही मैंने अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित कर लिया। दादी माँ को रोज़ रामचरितमानस का पारायण करते देख, उसे पढने की उत्सुकता हुई और आद्यंत पढ़ डाला। लगा यह एक कथा का ताना-बाना ही नहीं, इसमें तो जैसे सारा संसार समा गया है। सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियाँ, मानव-मूल्य, मानवीय संबंधों की गरिमा, प्रेम, दया, ईर्ष्या, द्वेष सभी तरह की भावनाएँ, कहीं कुछ भी तो अछूता नहीं रहा। इस एक ही रचना ने साहित्य पढ़ने की ललक उत्पन्न कर दी। पढ़ते-पढ़ते न जाने कब स्वयं आशु कवि बन बैठा और साहित्यकार बनना ही मेरा जीवन लक्ष्य बन गया।

मैं अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील हूँ। जब लक्ष्य सामने हो, आंखों में सपने हों, व्यक्ति में रुचि और प्रतिभा हो, परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ्य हो, तो लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग सहज हो उठता है। हर मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे दी मेरे हिंदी अध्यापक ने। उन्होंने सदा मेरा मार्ग प्रशस्त किया और जब भी मैं मार्ग से भटकने लगता वे कवि दिनकर की पंक्ति दोहरा देते-

"थककर बैठ गए क्या भाई! मंज़िल दूर नहीं है।"

इन पंक्तियों को सुनकर मेरे मन में उत्साह की एक नई लहर दौड़ जाती। मेरे अध्यापक मुझे निरंतर पढ़ने की प्रेरणा देते, हर प्रकार का साहित्य मुझे लाकर देते और फिर उन पुस्तकों पर चर्चा करते। साहित्य पढ़कर ही मैंने सीखा कि किस प्रकार समाज की बनती-बिगड़ती स्थितियाँ सहित्यकार को निरंतर प्रभावित करती हैं। वह अपने आसपास की स्थितियों, समाज के गुण-दोषों, संस्कृति, मानव-मूल्यों और संवेदनाओं को अपने साहित्य का विषय बनाता है और अपनी लेखनी से यथार्थ का चित्र ही नहीं उकेरता अपितु आदर्श भी सामने रखता है, समाज को उचित दिशा भी देने का प्रयास करता है और ऐसा ही साहित्यकार युगातीत बनता है। कबीर तुलसी, प्रसाद, प्रेमचंद जैसे साहित्यकार ऐसे ही हैं जिनकी रचनाएँ सदा ही पाठकवर्ग को प्रभावित करती रहेंगी

इन महान साहित्यकारों का साहित्य मुझे सदैव ही श्रेष्ठ साहित्य रचना करने की प्रेरणा देता है। मैं भी ऐसी साहित्य का सृजन करना चाहता हूँ जो 'सत्यं शिवं सुंदरम्' को स्वयं में समाए हो, जो जन-जन की भावनाओं को वाणी दे सके जो और सुखी-स्वस्थ समाज के निर्माण

में अहम भूमिका निभा सके। मेरे साहित्य में तुलसी, प्रेमचंद-सी युगचेतना हो; सुर, प्रसाद जैसी कोमल मृदु भावनाएँ हों, निराला का निरालापन हो, महादेवी की संवेदना हो, दिनकर का ओज हो, पंत का प्रकृति प्रेम हो और साथ ही हो कबीर-सी सरल सहज नीति। मैं अपनी लेखनी से जन-मन में नव-चेतना का संचार का सकूँ, शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर सकूँ, सामाजिक कुरीतियों का मूलोच्छेदन कर सकूँ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार कर सकूँ। कार्लाइल कहते हैं, ''अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उसके बाद सारा शारीरिक और मानसिक बल जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसमें लगा दो।'' मैं उनके इस उपदेश पर अमल करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हूँ, उसके लिए प्रयत्नशील हूँ। मैं भले ही अभी एक विद्यार्थी हूँ, पर जिस प्रकार एक अच्छा अध्यापक जीवन भर एक विद्यार्थी बना रहता है, उसी प्रकार मैं भी जीवन भर एक विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ। सदा सीखता रहूँ और यही सीख साहित्यकार के रूप में अपनी रचनाओं द्वारा दूसरों को देता रहूँ, यही मेरी कामना है और यही है मेरा जीवन लक्ष्य।

भारतीय संस्कृति : अनेकता में एकता

संस्कृति-सामाजिक संस्कारों का दूसरा नाम है जिसे कोई समाज विरासत के रूप में प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में संस्कृति एक विशिष्ट जीवन शैली है, एक ऐसी सामाजिक विरासत है जिसके पीछे एक लंबी परंपरा होती है।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम तथा महत्त्वपूर्ण संस्कृतियों में से एक है, किंतु यह कब और कैसे विकसित हुई, यह कहना कठिन है। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इसकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। भारतीय संस्कृति के मूलरूप का परिचय हमें वेदों से मिलता है। वेदों की रचना ईसा से कई हज़ार वर्ष पूर्व हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का विवरण भी भारतीय संस्कृति की प्राचीनता पर प्रकाश डालता है। इसका इतना लंबा और अखंड इतिहास इसे महत्त्वपूर्ण बनाता है। मिस्त्र, यूनान और रोम आदि देशों की संस्कृतियों आज केवल इतिहास बन कर सामने हैं, जबकि भारतीय संस्कृति एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा के साथ आज भी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। महाकवि इकबाल के शब्दों में-

यूनान, मिस्त्र, रोमां सब मिट गए जहाँ से।
कुछ बात है कि हस्तीस मिटती नहीं हमारी।।

आखिर यह बात क्या है ? भारत में समय-समय पर ईरानी, यूनानी, शक, कुषाण, हूण, अरब, तुर्क, मंगोल आदि जातियाँ आईं लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में इन सभी को अत्मसात् कर लिया और उनके अच्छे गुणों को ग्रहण करके उन्हें अपने रंग-

रूप में ऐसा ढाला कि वे आज भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। भारत ने वे सभी विचार, आचार-व्यवहार स्वीकार कर लिए जो उसकी दृष्टि में समाजोपयोगी थे। अच्छे विचारों को ग्रहण करने में भारतीय संस्कृति ने कभी परहेज़ नहीं किया। विविध संस्कृतियों को पचाकर उन्हें एक सामासक स्वरूप दे देना ही भारतीय संस्कृति के कालजयी होने का कारण है। 'अनेकता में एकता' ही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता रही है। कवि गुरु रवीद्रनाथ ठाकुर ने भारत को 'महामानवता का सागर' कहा है। सचमुच महासागर है; यह जाति, धर्म, भावा-साहित्य, कला-कौशल आदि की अनेक सरिताओं द्वारा समृद्ध महामानवता का महासागर। संसार के सभी प्रमुख धर्म भारत में प्रचलित है। स्नातान धर्म (हिंदू), जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इस्लाम, सिख सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। भाषा की दृष्टि से यहाँ लगभग 150 भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ 'ढाई कोस पर बोली बदले' वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। संसार के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के रूप में साहित्य की जो प्रथम धारा यही फूटी थी, वही समय के साथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, गुजराती, बँगला तथा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि के माध्यमों से विकसित हुई और फ़ारसी तथा अंग्रेजी साहित्य ने उसे संपुष्ट किया।

नृत्य और संगीत के क्षेत्र में भी यही समन्वय देखने को मिलता है। भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुडि, कथकली, मणिपुरी, कत्थक आदि सभी सैलियों को पौराणिक देवी-देवताओं के जीवन की घटनाओं से सजाया-सँवारा गया है। कत्थक नृत्य शैली में मुगल दरबार की संस्कृति का बड़ा सुंदर रूप देखने को मिलता है। भारतीय संगीत में भी हमें विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। सामगान से उत्पन्न भारतीय संगीत के विकास के पीछे भी समन्वय की एक लंबी परंपरा है। यह लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों को अपने में समेटे हुए है। हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत दोनों में ही अनेक लोकधुनों ने राग-रागिनियों के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। ईरानी संगीत का प्रभाव आज भी अनेक राग-रागिनियों दोनों में ही अनेक लोकधुनों ने राग-रागियों और वाद्य यंत्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है। हिंदुस्तानी संगीत की समृद्धि में तो अनेक मुस्लिम संगीतकारों का योगदान रहा है।

साहित्य और संगीत के समान भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला में भी विविधता में एकता दिखाई देती है। इससे भारत में आई विभिन्न जातियों की कला-शैलियों के पूरे इतिहास की झलक मिलती है। इसमें एक ओर तो शक, कुषाण, गंधार, ईरानी, यूनानी शैलियों से प्रभावित धाराएँ आ जुड़ी हैं तो दूसरी ओर इस्लामी और ईसाई सभ्यता से प्रभावित धाराएँ, कितु ये सब धाराएँ मिलकर भारतीय कला को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं।

भारत पर्वो-उत्सवों का देश है। हमारे पर्व-त्योहार अनेकता में हमारी सांस्कृतिक एकता को प्रतिबिंबित करते हैं। दीपावली, दशहरा, बैसाखी, पोंगल, ओणम, मकरसंक्रांति, गुरुपर्व बिहू, ईद-उल--फिकर, ईद-उल-फ़ितर, क्रिसमस,नवरोज़ आदि में भारतीय संस्कृति को इसी एकात्मकता

के दर्शन होते हैं। इन सभी पर्व-त्योहारों ने हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। ये सभी भारतीय संस्कृति की एकता का जीवंत रूप प्रस्तुत करते हैं और हमें ये बार-बार अनुभव कराते हैं कि हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति मूलतः एक है।

देश के विभिन्न भागों में बसे लोग भाषा, धर्म, वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज़ आदि की दृष्टि से भले ही ऊपरी तौर पर एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक इकाई है।

वस्तुतः अनेकरूपता ही किसी राष्ट्र की जीवंतता, संपन्नता तथा समुद्धि का द्योतक है। भारतीय संस्कृति की समृद्धि तथा गरिमा इसी अनेकता का परिणाम है। इस अनेकता ने ही धर्म, जाति, वर्ग, काल की सीमाओं से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति को एकात्मकिता प्रदान की, महामानवता के एक सागर के रूप में प्रतिष्ठित किया।

आतंकवाद

'राजधानी में बस विस्फोटः तीन व्यक्ति मरे दस घायल' सीमा पार से दो आतंकवादी देश की सीमा में घुसे'; 'पोस्ट ऑफिस में एंथ्रेक्स का संदेश' जैसे अनेक समाचार आए दिन समाचारपत्रों, दूरदर्शन और रेडियो की सुर्खियाँ बने नज़र आते हैं। जहाँ देखो आतंकवाद का बोलबाला है। आतंकवाद की यह समस्या केवल भारत की ही नही है, सारे संसार की समस्या है। अल्बू निदाल, ओसामा बिन लादेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र-तस्कर और आतंकवादियों ने विश्व के लगभग सभी देशों को आतंकवाद का लक्ष्य बनाया है। संप्रति आतंकवाद एक भयंकर चुनौती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरा है। वह विश्व क्षितिज पर प्रलयंकारी बादलों की भाँति छाया हुआ है और प्रतिक्षण मानव जाति के लिए संकट का वाहक बना हुआ है। कोई नहीं जानता कब किसके ऊपर उसकी गाज गिरे और विनाशलीला प्रकट हो जाए। हाल ही में अमरीका व भारत में कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

आतंक का अर्थ है 'भय'। आतंकवादी ऐसे किसी भी संगठन के सदस्य हो सकते हैं जो अपने किसी राजनैतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति विनाशकारी उपायों से करते हैं। वे निरीह लोगों की हत्या करके, सार्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट करके, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाकर समाज में आतंक फैलाते हैं। इस कारण मनुष्य हर क्षण संत्रस्त तथा भयाक्रांत बना रहता है।

आतंकवाद वस्तुतः अतिवाद का दुष्परिणाम है। आज के भौतिकवादी युग में अतिवाद की काली छाया इतनी बढ़ गई है कि चारों ओर असंतोष की स्थिति तेज़ी से बढ़ रही है। असंतोष की अभिव्यक्ति अनेक माध्यमों से होती है। आतंकवाद आज राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक अमोध अस्त्र बन गया है। अपनी बात मनवाने के लिए आतंक उत्पन्न करने की पद्धति

एक सामान्य नियम बन गई है। आज यदि शक्तिशाली देश निर्बल देशों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करता है तो उसके प्रतिकार के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाता है। उपेक्षित वर्ग भी अपना अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए आतंकवाद का मार्ग अपनाता है।

स्वार्थबद्ध संकुचित दृष्टि ही आतंकवाद की जननी है। क्षेत्रवाद, धर्मांधता, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारण, सांस्कृतिक टकराव, भाषाई मतभेद, आर्थिक विषमता, प्रशासनिक मशीनरी की निष्क्रिषता और नैतिक ह्रास अंततः आतंकवाद के पोषण एवं प्रसार में सहायक बनते हैं।

भारत को जिस प्रकार के आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है, वह भयावह और चिंतनीय इसलिए है क्योंकि उसके मूल में अलगाववादी और विघटनकारी तत्त्व काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद से ही देश के विभिन्न भागों में विदेशी शह पाकर आतंकवादी सक्रिय हो उठे थे। इसका दुष्परिणाम यह है कि आज कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तानी कबाइलियों और उनके देश में आए पाक सैनिकों के हाथ पहुँच गया है। आज तो कश्मीर में आतंकवाद का प्रभाव इस सीमा तक बढ़ चुका है कि वहाँ के मूल निवासी शरणार्थी बनकर मारे-मारे फिर रहे हैं।

केवल कश्मीर ही नहीं अपितु नगा पहाड़ी क्षेत्र, मिज़ोरम, सिक्किम, पंजाब आदि आतंकवाद का शिकार रहे हैं। उत्तर-पूर्व राज्यों में भी आतंकवाद रह-रहकर उभरता रहता है। देश के कुछ भागों में नक्सली आतंकवादी आज भी सक्रिय हैं। फलस्वरूप हमेशा भय, आतंक और तनाव का वातावरण बना रहता है। इसका अंत कब, कहाँ और किस प्रकार होगा ? सरकार भी इस संबंध में कुछ निश्चित कह पाने में समर्थ नहीं। शासन व्यवस्था लूली-लँगड़ी-सी होकर रह गई है।

जहाँ-जहाँ आतंकवादियों का बोलबाला है, वहाँ-वहाँ की आम जनता का जीवन प्रायः ठप है। वहाँ अगर हलचल और सक्रियता दिखाई देती है तो बस आतंकवादियों के उग्र-घातक कार्यों में या फिर उन्हें दबाने और निष्क्रिय करने के कार्य में लगे सुरक्षा बलों और सेना की गतिविधियों में आतंकवाद पशुता है, दानवता है। हर आतंकवादी संगठन मानवता का शत्रु है चाहे वह उल्फ़ा हो, लिट्टे हो, अथवा कश्मीरी उग्रवादी संगठन तालिबान हो या अल-कायदा। मानवीय मूल्यों से रहित आतंकवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए जहाँ एक ओर तो आज संसार के सारे देशों को कटिबद्ध होकर शक्ति प्रयोग द्वारा इसका अंत करना होगा, वहीं दूसरी ओर इस असंतोष के कारणों तथा आम लोगों के नैतिक मूल्यों का विकास तथा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग तथा 'जय जगत' की संकल्पना को विकसित करना होगा। सौहार्द एवं मैत्री की अवधारणा को जन-मानस तक पहुँचाना होगा और इन सबसे ऊपर हमें जनता में इतना आत्मबल विकसित करना होगा कि वह असहाय मूक और निरीह दर्शक बने रहने के बजाय स्वयं आगे आकर आतंकवाद से टक्कर ले।

यदि मे प्रधानमंत्री होता

समाचार पत्र उठाते ही अकसर आपको प्रधानमंत्री के दर्शन हो जाते हैं। रेडियो या टी. वी. चलाइए। प्रधानमंत्री का भाषण देश के नाम संदेश, किसी समसामयिक समस्या पर चर्चा या उनका साक्षात्कार चल रहा होगा। प्रधानमंत्री यानी जिसके कंधे पर देश का भार होता है; जो शासन का मुखिया होता है, जिस पर पूरे राष्ट्र के कल्याण का दायित्व होता है। प्रधानमंत्री जनता का सर्वप्रमुख नेता होता है।

प्रधानमंत्री का पद जितना बड़ा है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा होता है। आखिर इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी-बड़ी समस्याएँ। कैसे निभा पाते होंगे ये सब! किस मिट्टी के बने होते हैं ये प्रधानमंत्री! न दिन को चैन न रात को नींद। मेरे मस्तिष्क में अकसर इस तरह की उधेड़-बुन चला करती है। इसी उधेड़-बुन में न जाने कब मेरे मन में इस महत्वाकांक्षा ने जन्म ले लिया कि काश! मैं भी देश का प्रधानमंत्री होता। मैं प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा।

विश्व के जाने-माने प्रधानमंत्रियों के चेहरे इतिहास की पुस्तक से निकलकर मेरी आँखों के सामने घूमने लगे-चर्चिल, नेहरू भंडारनाइके, मार्गरेट थैचर, शास्त्री, इंदिरा गांधी और न जाने कौन-कौन। इतिहास साक्षी है कि इन्होंने कितने बड़े-बड़े काम किए थे। क्या सौम्य व्यक्तित्व था। नेहरू जी का-कोट के बटन में लगा लाल गुलाब और गुलाब-सा खिला चेहरा, आकर्षक नाक-नक्श, रोबदार आवाज़ और बच्चों-सी मासूम मुसकान। बच्चों के बीच बच्चे और आम आदमी की मजलिस में ज़िदादिल, खुशमिज़ाज इनसान। मैने सोच लिया है कि यदि प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले ऐसे वातावरण का निर्माण करूँगा जिसमें आम आदमी उतनी ही आसानी से मुझ तक पहुँच सके, जितनी आसानी से नेहरू जी तक पहुँचा जा सकता था।

बच्चे तो देश के भविष्य हैं। उन्हें ही पढ़-लिख कर देश को आगे ले जाना है। अतः सबसे बड़ी आवश्यकता है उन्हें हर तरह के भय से मुक्त करने की। बच्चों का बचपन न मुरझाए, मैं इसका पूरा प्रयास करूँगा। इसके लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाऊँगा। शिक्षा बच्चों के लिए बोझ या मजबूरी न होकर, उनकी रुचि और आवश्यकतानुसार हो। शिक्षा पारंपरिक पाठ्यक्रम के बंधन से मुक्त हो, बच्चों के सर्वांगीण विकास का माध्यम बने, मैं इसी दिशा में प्रयत्नशील रहूँगा। शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में न किसी प्रकार का भेद-भाव होगा, न ही धन की कोई मजबूरी।

हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। इसके बावजूद हमारी सभ्यता-संस्कृति सदा से समन्वयवादी रही है। आज समाज में अलगाववाद, संप्रदायवाद और आतंकवाद का जो ज़हर फैल रहा है, उसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य झूठे आडंबरों को ही धर्म मानकर उसके नाम पर घृणा और हिंसा को जन्म दे रहा है। आवश्यकता है उसे उनके प्राचीन मूल्यों और

सांस्कृतिक परंपराओं से पुनः परिचित कराने की। इसका सबसे उत्तम साधन शिक्षा ही है। अतः मैं निश्चय ही शिक्षा को अनिवार्य और मूल्यपरक बनाऊंगा।

हमारे देश का युवावर्ग भी अनेक समस्याओं का शिकार हो रहा है। बढ़ते भ्रष्टाचार, बेकारी और पश्चिमी सभ्यता के भौतिकवादी दृष्टिकोण के प्रभाव ने उसकी प्रतिभा और क्षमता को धूमिल कर दिया है। इस दिशा में मैं सर्वप्रथः अपना ध्यान प्रतिभा पलायन को रोकने पर दूँगा। मेरी सरकार देश में कार्य के ऐसे अधिक से अधिक अवसर जुटाने का प्रयास करेगी, जिससे युवा वर्ग में बढ़ते असंतोष को कम किया जा सके और देश को उनकी प्रतिभा तथा क्षमता का पूरा लाभ मिल सके।

हमारे देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। मैं जानता और समझता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश के प्रत्येक व्यक्ति को सभी आवश्यकताएँ पूरी करना एक कठिन कार्य है। किंतु यह भी हमारे लिए लज्जाजनक है कि आज भी लोग गरीबी और भूख से मरते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अनाज की कमी है, बस उसका उचित बँटवारा नहीं हो पा रहा। मेरी सरकार इस दिशा में पूरा प्रयास करेगी कि कम-से-कम प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ अवश्य पूरी हो सकें।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता आज भी गाँवों में रहती है। कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीणों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए ग्राम-पंचायतों को और अधिक स्वायत्तता तथा अधिकार प्रदान किए जाएँगे।

जनसंचार के बढ़ते साधनों ने संसार के देशों के बीच की दूरियाँ कम कर दी हैं। आज प्रत्येक देश को उन्नति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है और वे एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। हम भी सभी देशों से शांतिपूर्ण मैत्री संबंध रखना चाहते हैं। किंतु यदि कोई देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है या हमारी सीमाओं को लाँघने का प्रयास करता है तो वह हमें कदापि सह्य नहीं होगा। मेरी सरकार इस ओर पूर्ण रूप से सचेत रहेगी कि कोई विदेशी ताकत हमारी सीमाओं में न घुसने पाए।

भारत प्राचीन काल से 'जिओ और जीने दो' और 'वसुधैव कुटुंबकम्' में विश्वास रखता आया है। किंतु जो लोग आतंकवाद के माध्यम से देश को कमज़ोर बनाने व अलगाववादी प्रवृत्तियाों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, मेरी सरकार उन्हें बलपूर्वक समाप्त करने से पीछे नहीं हटेगी। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि हमारा देश संसार की एक बड़ी शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सके। उद्योग तथा व्यापार देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। देश को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के रहते हुए भी मैं और मेरी सरकार गैर-सरकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी ताकि आज के प्रतियोगिता के युग में देश अन्य देशों के सम्मुख मज़बूती से खड़ा रह सके।

विश्व समाज का ज़िम्मेदार सदस्य होने के नाते मेरी सरकार विश्व की समस्याओं; जैसे- पर्यावरण प्रदूषण या युद्धों का निवारण आदि के प्रति पूर्णरूपेण जागरूक होगी और इनसे निपटाने के उपायों पर पूरा अमल करेगी ताकि धरती पर जीवन शेष रह सके।

मेरे प्रधानमंत्री होने पर मेरा भारत एक बार पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। चारों ओर खुशहाली और समृद्धि आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग का राज होगा। मानव का धर्म होगा- मानव सेवा। भारत की प्राचीनकाल से चली आ रही विश्व के आध्यात्मिक गुरु की छवि पुनः निखर उठेगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का विधान करते हुए मानव का कल्याण होगा। काश! मुझे प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले।

पर्यटन का महत्त्व

मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। वास्तव में मानव की प्रगति का इतिहास उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का ही परिणाम है। अपनी जिज्ञासा के कारण ही वह प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का पता लगा सका। नया कुछ जान लेने की इच्छा उसे एक ओर समुद्र की अतल गहराइयों तक ले गई तो दूसरी ओर अंतरिक्ष की असीम ऊँचाइयों तक। नई-नई वस्तुओं का आविष्कार, ज्ञान-विज्ञान के नए-नए आयामों का अन्वेषण, नित नए-नए सिद्धांतों का प्रतिपादन ये सब मनुष्य की जिज्ञासा के कारण ही संभव हुआ है।

देश-विदेश की यात्रा की ललक के पीछे भी मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ही काम करती आई है। देश-देशांतर की संस्कृति, सभ्यता, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक विशेषताओं के प्रत्यक्ष ज्ञान की जिज्ञासा ही उसे घर के ऐशो-आराम, सुख-सुविधा छोड़कर अनजान, दुर्गम और बीहड़ रास्तों पर घुमाती रही है। यदि मनुष्य चाहता तो वह घर बैठे ही पुस्तकों द्वारा यह जानकारी प्राप्त कर लेता, किंतु पुस्तकों से प्राप्त जानकारी का आनंद कुछ ऐसा ही होता है जैसे किसी चित्र को देखकर हिमालय के घने देवदार के वनों और हिमगिरि के उत्तुंग शिखर के सौंदर्य, रूप, गंध का अनुभव करना। यदि आदिम-पुरुष एक जगह, नदी या तालाब के किनारे एक ही स्थान पर पड़ा रहता तो हमारी यह दुनिया आपे नहीं जा पाती। एक स्थान पर टिके न रहने के कारण ही उसे घुमक्कड़ कहा गया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में 'घुमक्कड़ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है इसलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। अगर घुमक्कड़ों के काफ़िले न आते-जाते, तो सुस्त मानव-जातियाँ सो जाती और पशु स्तर से ऊपर नहीं उठ पाती।'

पर्यटन, घुमक्कड़ी का ही आधुनिक नाम है। आज के पर्यटन के पीछे भी मनुष्य की वही पुरानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति का प्रभाव है। आज भी जब वह देश-विदेश के विभिन्न स्थानों की

खुबियों के बारे में जब सुनता-पढ़ता है, तो उन्हें निकट से देखने, जानने के लिए उत्सुक हो उठता है और वह अपनी सुविधा और अवसर के अनुसार उस ओर निकल पड़ता है। आदिम घुमक्कड़ और आज के पर्यटक में इतना अंतर अवश्य है कि आज पर्यटन उतना कष्ट-साध्य नहीं है जितनी घुमक्कड़ी थी। ज्ञान-विज्ञान के आविष्कारों, अन्वेषणों की जादुई शक्ति के प्रताप से सुलभ साधनों के कारण आज पर्यटन पर निकलने के लिए अधिक सोच-विचार की आवश्यकता नहीं होती। मात्र सुविधा और संसाधन चाहिए, कितु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि पर्यटक बनने का जोखिम भरा आनंद तो उन पर्यटकों को ही आया होगा जिन्होंने अभावों और विषम परिस्थितियों से जूझते हुए देश-विदेश की यात्राएँ की थीं। फाह्यान, ह्वेनसांग, अल बेरुनी, इब्नबतूता, मार्को पोलो आदि ऐसे ही यात्री रहे होंगे।

पर्यटन के साधनों की सहज सुलभता के बावजूद आज भी पर्यटकों में पुराने ज़माने के पर्यटकों की तरह उत्साह, धैर्य, साहसिकता, जोखिम उठाने की तत्पराता होनी चाहिए।

आज पर्यटन एक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। इस उद्योग के प्रसार के लिए देश-विदेश में पर्यटन मंत्रालय बनाए गए हैं। विश्वभर में पर्यटकों की सुविधा के लिए बड़े-2 पर्यटन-स्थल विकसित किए जा रहे हैं। कई महत्त्वपूर्ण, पर अब तक उपेक्षित ऐतिहासिक स्थलों को सजाया-सँवारा जा रहा है। हमारे देश का पर्यटन विभाग, पुरातत्त्व विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में विशेष क्रियाशील है। मनोरम पहाड़ी स्थलों पर पर्यटक आवास स्थापित किए जा रहे हैं, पर्यटकों के निवास और भोजन आदि की व्यवस्था के लिए नए-नए होटलों, लॉदों और पर्यटन-गृहों का निर्माण एवं विकास किया जा रहा है। यातायात के सभी प्रकार के सुलभ एवं आवश्यक साधनों की व्यवस्था की जा रही है।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सभी देश अपने दूतावासों के माध्यम से अपने-अपने देश की भव्यता, दर्शनीयता के बारे में विदेशों में व्यापक एवं सुनियोजित प्रचार करते हैं। इस प्रकार पर्यटन-संस्कृति का विकास हो रहा है। इतना ही नहीं, आज पर्यटन पर्याप्त मुनाफ़ा देने वाला उद्योग बन चुका है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बड़ा स्रोत बन गया है। जैसे उद्योगपति या व्यापारी अपनी वस्तु की बिक्री के लिए विज्ञापनबाजी करता है, उसी तरह पर्यटन को भी एक वस्तु बनाकर उसका प्रदर्शन और प्रचार किया जा रहा है। इसके लिए रंगीन पुस्तिकाएँ, आकर्षक पोस्टर, सतरंगे ब्रोशर, पर्यटन स्थलों के रंगीन चित्र, उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत ब्योरा आदि प्रचार सामग्री विमानपत्तनों, रेलवे स्टेशनों, बड़े-बड़े होटलों और देश-विदेश के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर देखी जा सकती हैं। इसे निःशुल्क वितरित एवं प्रदर्शित किया जाता है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार के आयोजन भी किए जाते हैं; जैसे-विदेशों में किसी देश या स्थान विशेष की कलाएँ, कलात्मक दृश्य, सांस्कृतिक संस्थाओं की प्रदर्शनियाँ, गोष्ठियाँ, विभिन्न स्तरों पर सभाएँ और चर्चाएँ आदि।

पर्यटन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कई बार वृत्तचित्र भी तैयार किए या करवाए जाते हैं। इसमें किसी एक विशिष्ट स्थान की झाँकी प्रस्तुत की जाती है। विशेष स्थलों या प्रदेशों में बने कथाचित्र भी प्रदर्शन के बाद लोगों के मन में प्रदर्शित स्थल को देखने की लालसा जगा देते हैं। कई बार देश-विदेश में भ्रमण करने वाली नृत्य-संगीत आदि की मंडलियाँ भी इस कार्य में सहायक होती हैं। इन सबके परिणामस्वरूप आज पर्यटन के प्रति निश्चय ही अभिरुचि की वृद्धि हो रही है। आनंद प्राप्ति, जिज्ञासा की शांति, बढ़ती आय के अतिरिक्त पर्यटन के और भी कई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ हैं। पर्यटन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयता की समझ जन्म लेती है और विकसित होती है। प्रेम और मानवीय भाईचारा बढ़ता है। सभ्यता संस्कृतियों का परिचय मिलता बढ़ता है। पर्यटन के माध्यम से किसी देश और उसकी संस्कृति के संबंध में फैली भ्रांतियों का भी निराकरण हो जाता है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय युग में जी रहे हैं। आज जिस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, पर्यटन उसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पर्यटन से व्यक्ति अपने खोल से बाहर निकलना सीखता है, उसे अपनी वास्तविकता का अहसास होता है। अपने पर्यावरण से बाहर कठिन परिस्थितियों में जीने का अभ्यास होता है। आत्म-साक्षात्कार का अवसर मिलता है। पर्यटन उस एकरसत्ता से उत्पन्न ऊब का भी परिहार करता है जो एक ही स्थान पर, एक जैसे ही वातावरण में लगातार रहने से उत्पन्न हो जाती है। पर्यटन मनुष्य को उसकी कल्पना की दुनिया से निकालकर यथार्थ की भूमि से जोड़ता है। अब उसके मनचाहे स्थलों की शोभा-सुषमा, उनकी सुंदरता की कल्पना सुनी-सुनाई बातों पर ही निर्भर नहीं करती, अपितु स्वयं उसकी आँखों के सामने होती है और वह उनका दर्शन करके अपनी कल्पना को साकार करता है।

कतिपय निबंधों की रूपरेखा

1. मेरा देश-भारत

1. भारत की भौगोलिक स्थिति
2. भारत का गौरवशाली इतिहास
3. प्राकृतिक बनावट, जलवायु, खान-पान, वेश-भूषा, संस्कृति की दृष्टि से विविधताएँ
4. विविधता में एकता
5. विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश
6. विविध धर्मों एवं मजहबों के बावजूद भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र
7. बहुभाषी देश
8. भारतीय संस्कृति का महत्त्व
9. भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति-शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में आस्था।

2. जीवन में खेल-कूद का महत्त्व

1. खेल-कूद प्रकृति का विधान
2. शारीरिक विकास के लिए खेल-कूद आवश्यक
3. विद्‌यालयों में खेल-कूद की स्थिति
4. खेल कूद से लाभ
5. खेल-कूद से आत्मविश्वास की भावना का विकास
6. विद्‌यार्थियों के लिए खेल-कूद का महत्व
7. खेल-कूद ऊब, थकावट दूर करने में सहायक
8. सरकार का खेल-कूद पर अधिक ध्यान देना।
9. जनपद राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल-कूद

प्रतियोगिताओं का आयोजन

3. मेरा प्रिय खेल-फुटबाल

1. खेलों का महत्त्व
2. फुटबाल-एक सस्ता, लोकप्रिय और आधुनिक खेल
3. साधन-केवल एक गेंद और समतल मैदान
4. मैदान की लंबाई 103.5 मी. चौड़ाई 67.5 मीटर (आयताकार मैदान) खिलाड़ियों की संख्या दोनों टीमों में 11-11
5. मैदान के दोनों सिरों के बीचोंबीच दो खंभे गाड़कर दोनों ओर दो गोल स्थान बनाना
6. खिलाड़ियों का मुख्य उद्‌देश्य होता है-गेंद को पैरों से ठोकर मारकर गोला स्थान के बीच में पहुँचना
7. हर टीम में एक गोलरक्षक
8. खेल में गेंद का हाथ से छूना, किसी खिलाड़ी को धक्का देना, पकड़ना, ठोकर मारना या खेल में किसी प्रकार का नियम-विरुद्ध व्यवधान पहुँचाना
9. उपसंहार-सस्ता और लोकप्रिय खेल।

4. अनुशासन

1. अनुशासन का अर्थ और उसका महत्त्व
2. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का स्थान
3. अनुशासन की प्रथम पाठशाला-परिवार

4. अनुशासन-जीवन, परिवार, देश और समाज की उन्नति का आधार
5. व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन-दोनों के लिए अनुशासन आवश्यक
6. अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम
7. अनुशासन एक जीवनमूल्य

5. पर्वतीय सौंदर्य

1. पर्वतीय सौंदर्य का महत्त्व
2. पर्वतीय सौंदर्य के प्रति मानव का प्रेम
3. पर्वतीय सौंदर्य के संरक्षण के प्रति जनता का कर्त्तव्य
4. पर्वतीय सौंदर्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकारी प्रोत्साहन
5. पर्वत, पशु-पक्षी, नदियाँ, वन और वहाँ के मानव के विषय में बताना
6. पर्वतीय सौंदर्य-मानव के लिए लाभप्रद
7. उपसंहार

(ग) सार लेखन

किसी गद्यांश के मुख्य भावों या विचारों को छोड़े बिना संक्षेप में लिखना सार कहलाता है। इसे अंग्रेज़ी में 'प्रेसी राइटिंग कहते हैं। कुछ लोग इसे संक्षेपण भी कहते हैं। सामान्य रूप से किसी बड़े लेख, निबंध, विवरण, प्रतिवेदन आदि को संक्षेप में लिखने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे पाठक को बिना पूरा लेख या विवरण पढ़े इसके मुख्य तथ्य समझ में आ जाएँ। सार मूल का प्रायः एक तिहाई होता है। आज के युग में जब मनुष्य के पास समय का बहुत अभाव है, कार्यालयों, समाचारपत्रों, पत्र-पत्रिकाओं और प्रशासन में सार का महत्त्व बढ़ जाता है।

सार लेखन अपने में एक तकनीक है। इसलिए सार लेखन के कुछ नियमों को जान लेना ज़रूरी है जो इस प्रकार हैं-

1. मूल पाठ को दो-तीन बार पढ़ा जाए ताकि पाठ के अर्थ का बोधन हो सके।
2. पाठ के मुख्य भावों और विचारों का चयन कर उन्हें रेखांकित किया जाए। इससे स्तर लेखन में आसानी होती है।
3. इन मुख्य भावों और विचारों को अपनी भाषा में लिखना चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाए कि इसकी शैली अलंकृत न हो और न ही मुहावरों और कहावतों का प्रयोग हो।
4. वर्णनात्मक वाक्यों को सूत्र रूप में अथवा समस्त पदों में देने का प्रयास किया जाए।

5. प्रत्यक्ष कथन के स्थान पर परोक्ष कथन दिया जाता है। यह कथन अन्य पुरुष में होना अपेक्षित है।
6. सार लेखन में अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें पुनरुक्ति दोष से बचने की अपेक्षा रहती है।
7. यदि आवश्यक हो तो सार लेखन का शीर्षक भी देना उचित होगा। यह भी ध्यान रखा जाए कि शीर्षक यथासंभव छोटा हो और अपनी भाषा में हो।
8. इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि संक्षेप करते समय पाठ की कोई आवश्यक बात न छूट जाए। साथ ही स्पष्टता, क्रमबद्धता और पूर्णता का भी ध्यान रखा जाए।
9. सार लेखन के बाद इसे दो-तीन बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए जिससे यदि उसमें कोई दोष हो तो उसे दूर किया जा सके। अंत में मूल पाठ से एक बार उसकी तुलना की जानी चाहिए जिससे यह मालूम हो सके कि कोई आवश्यक तथ्य छूट तो नही गया।

सार लेखन के नमूने

नमूना 1

मूल पाठ

आज मानव के सामने एक बड़ा प्रश्न उपस्थित हो गया है कि विज्ञान के नित नए आविष्कार का कारण बदली हुई यह स्थिति उसके लिए वरदान होगी या अभिशाप ? यह प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है कि एक ओर जहाँ मानव विज्ञान का उपयोग अपने कल्याण के लिए कर रहा है वहीं दूसरी ओर भयंकर अस्त्र-शस्त्रों द्वारा मानव की सभ्यता, संस्कृति और उसकी अबतक अर्जित समस्त पूँजी को भस्मीभूत कर देने की तैयारी भी कर रहा है। आज एक देश दूसरे देश को वैज्ञानिक शक्ति के आधार पर दबा रहा है। जिस देश के पास जितनी अधिक वैज्ञानिक शक्ति है, वही देश अपने को गौरवान्वित मान रहा है। अमरीका, रूस आदि राष्ट्र विश्व में इसलिए आगे हैं, क्योंकि उनके पास वैज्ञानिक उपकरण अधिक हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे अणुबमों का भी आविष्कार किया है जिनका दुर्भाग्यवश यदि कभी विस्फोट हुआ तो देश के देश मृत्यु के गर्त में चले जाएँगे।

कुछ लोग विज्ञान को इसलिए अभिशाप मानते हैं कि इसने बड़े-बड़े संहारक अस्त्रों को जन्म दिया है। इतने प्रकार के घातक हथियारों का निर्माण किया गया है कि सारे संसार को मिनटों में नष्ट किया जा सकता है। हथियारों की यह दौड़ विज्ञान के कारण नहीं, बल्कि वर्तगान विश्व व्यवस्था के कारण है। विश्व का असंतुलित विकास, गरीब और अमीर देशों में दुनिया का विभाजन तथा विकसित पूँजीवादी देशों द्वारा अल्पविकसित देशों पर प्रभुत्व बनाए रखने

की महत्त्वाकांक्षा ने इस विकार को जन्म दिया है। इसलिए विज्ञान को अभिशाप होने से बचाने के लिए विश्व व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। नई व्यवस्था में हथियारों की होड़ समाप्त होगी और विज्ञान अभिशाप कहलाने के कलंक से बच जाएगा।

शीर्षक : विज्ञान-वरदान या अभिशाप

सार - मनुष्य जहाँ विज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहा है वहीं वह इस प्रकार के अस्त्र-शस्त्र भी बना रहा है, जिनसे मानव-सभ्यता और संस्कृति का विनाश हो सकता है। आज वे ही राष्ट्र विकसित और शक्ति संपन्न हैं, जिनके पास उच्च वैज्ञानिक उपकरण हैं। विकसित राष्ट्रों ने बड़े-बड़े संहारक अस्त्रों का निर्माण किया है जिनसे सारे संसार को मिनटों समें नष्ट किया जा सकता है।

आज विज्ञान अभिशाप इसलिए बन गया है, क्योंकि सारा विश्व विकसित और अविकसित राष्ट्रों में बँटा हुआ है और थोड़े से विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को बदलकर ही हम विज्ञान को वरदान बना सकते हैं।

नमूना 2

मूल पाठ

समस्य भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख तथा मार्मिक है कि केवल इसी के बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वह अपनी मौलिकता का पताका फहरा सकता है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकता है। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार साहित्य तथा अन्य कलाओं में भी भारतीय प्रकृति समन्वय की ओर रही है। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख-दुःख उत्थान-पतन, हर्ष-विवाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने में है। साहित्य के किसी अंग को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुःख के प्रबल घात-प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है, जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के दुखांत नाटक इसीलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। यदि आजकल ऐसे नाटक दिखाई पड़ने लगे हैं, तो वे भारतीय आदर्श से दूर और यूरोपीय आदर्श के अनुकरण मात्र हैं।

शीर्षक : भारतीय साहित्य की विशेषता-समन्वय

सार - भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी एवं मौलिक विशेषता उसके मूल में विद्‌यमान समन्वय की भावना है। यहाँ के साहित्य का चरम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है, जिसमें सुख-दुख दोनों का सम्मिश्रण रहता है। आजकल जो कभी-कभी दुखांत साहित्य दिखाई पड़ने लगे हैं, उसका कारण पश्चिम की नकल है।

(घ) प्रतिवेदन लेखन

(रिपोर्ट लेखन)

विद्‌यालयों या कार्यालयों में समय-समय पर कुछ कार्यक्रम, समारोह और निरीक्षण आदि होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के पूरा हो जाने के बाद उनका क्रमबद्‌ध विवरण तैयार करना अकसर ज़रूरी हो जाता है। इस क्रमबद्‌ध विवरण को 'प्रतिवेदन' कहते हैं। प्रतिवेदन के द्‌वारा पाठक को यह पता लग जाता है कि किस प्रकार संपन्न हुआ, किन-किन लोगों ने उसमें भाग लिया, किसने क्या-क्या कहा और किस हद तक वह सफल हुआ। इन्ही प्रतिवेदना के आधार पर भावी कार्यक्रमों को बनाने में सावधानी बरती जाती है।

प्रतिवेदन लिखने की एक खास प्रणाली होती है। कम-से-कम शब्दों में कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं का उसमें उल्लेख होता है। तिथि, स्थान तथा प्रतिभागियों के नामों का पूरा उल्लेख होना चाहिए। घटनाओं का क्रमवार वर्णन होता है। प्रतिवेदनों को या तो उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है या रिकार्ड के रूप में रखा जाता है अथवा समाचारपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा जाता है।

विद्‌यालय में होने वाली अनेक घटनाओं के संबंध में इस प्रकार के प्रतिवेदन लिखाए जा सकते हैं; जैसे- वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह, स्वतंत्रता दिवस समारोह, क्रिकेट मैच, खेल प्रतियोगिताएँ, कवि गोष्ठी नाटक। नीचे नमूने के रूप में दो प्रतिवेदन दिए जा रहे हैं-

प्रतिवेदन का नमूना।

गणतंत्र दिवस समारोह

भारतीय विद्‌यालय लखनऊ

इस वर्ष 2006 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारती विद्‌यालय, लखनऊ में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्‌घाटन शिक्षा विभाग के निदेशक श्री रमेश यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। सबसे पहले मुख्य अतिथि ने झंडा फहराया, फिर सामूहिक राष्ट्रगान हुआ और फिर विद्‌यालय के छात्र-छात्राओं ने मुख्य अतिथि के स्वागत में

एक समूहगान प्रस्तुत किया। प्रधानचार्य श्री दामोदारन ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय की शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। सर्वप्रथम उन्होंने गणतंत्र दिवस के महत्त्व पर प्रकाश डाला और कहा कि अभी तक हम राजनैतिक दृष्टि से विश्व के उन्नतशील देशों के बराबर नहीं आ सके हैं। यह कार्य हमें और हमारी आगामी पीढ़ी को करना है। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरण करवाया गया।

मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में राष्ट्रीय एकता के विकास में छात्रों के योगदान पर प्रकाश डाला और छात्रों को प्रेरित किया कि वे समाज-सेवा के कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लें और साथ ही मन लगाकर पढ़ें, जिससे विद्यालय का नाम रोशन हो।

मुख्य अतिथि के भाषण के पश्चात् उपप्रधानाचार्य महोदय ने मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य सभी आमंत्रित अतिथियों शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को धन्यवाद दिया। समारोह के अंत में सभी लोगों ने जलपान का आनंद लिया।

प्रतिवेदन का नमूना 2

वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता

रामकृष्ण केंद्रीय विद्यालय, मथरा

इस वर्ष की वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता 3 जनवरी 2006 को संपन्न हुई। इसमें ज़िले के चार अन्य स्कूलों के विजेता प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। कुल मिलाकर प्रतिभागियों की संख्या 125 थी। इतनी ही संख्या में छात्र-छात्राओं के अभिभावक तथा अध्यापक आदि भी आए थे।

मैदान के चारों ओर बहुत अच्छी सजावट की गई थी। संगीत की धुन मैदान में गूँज रही थी और बैंड भी बज रहे थे। एक स्थान पर विजेताओं के कप और शील्ड सजा कर रखे हुए थे।

कुल मिलाकर 25 से भी ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें शामिल थे-दौड़ (100 मीटर की, 200 मीटर की, 400 मीटर की और एक किलोमीटर की), रिले रेस, हर्डल रेस, टेबल टेनिस, बास्केट बॉल, म्यूज़िकल चेयर, शतरंज, तैराकी आदि। इनमें से कई कार्यक्रम इससे पहले ही संपन्न हो चुके थे।

सभी कार्यक्रमों में दर्शकों ने तालियाँ बजाकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। चारों ओर हर्ष-उल्लास का वातावरण था। रामकृष्ण केंद्रीय विद्यालय ने सबसे अधिक 51 पुरस्कार जीते। अन्य तीन विद्यालयों ने क्रमशः 15, 14, 12 पुरस्कार जीते।

जब विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए तो दर्शकों ने तालियाँ बजाई और उनका जय जयकार किया।

प्रतियोगिता समारोह के अंत में प्रधानाचार्य ने समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधीश श्री रुद्र प्रताप सिंह का परिचय कराया और स्वागत किया। जिलाधीष महोदय ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही उनमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी आती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

प्रधानाचार्य ने वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागी-विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्रों को धन्यवाद दिया और मुख्य अतिथि के प्रति आभार व्यक्त किया।

अंत में सभी प्रतिभागियों ने प्रीतिभोज में भाग लिया।

(ङ) अपठित बोध

किसी भी भाषा को सीखने के क्रम में तथा ज्ञान-विज्ञान के विस्फोट के इस युग में जानकारी प्राप्त करने में पठन कौशल एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाहन करता है।

विभिन्न प्रकार के विषयों की सामग्री को आत्मसात् करने के लिए आवश्यक है कि छात्र उस सामग्री को पढ़े, पढ़कर समझे, उस पर चिंतन-मनन करे और फिर उस पर शुद्ध, स्पष्ट एवं सुसंगत रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। इसके लिए अर्थग्रहण का अभ्यास आवश्यक है। अर्थग्रहण का यह अभ्यास दो प्रकार से किया जा सकता है-पूर्वपठित सामग्री के माध्यम से तथा किसी अपठित सामग्री को आधार बनाकर। इन दोनों प्रकार की सामग्री का अपना-अपना महत्त्व है, किंतु अर्थग्रहण की योग्यता के मूल्यांकन में अपठित सामग्री की अपनी एक विशिष्ट उपयोगिता है।

विद्यालयी स्तर पर अर्थग्रहण के मूल्यांकन के लिए पठित सामग्री प्रायः पाठ्यपुस्तक से संबंधित होती है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र उस सामग्री के एकाधिक बार संपर्क में आ चुका होता है और फलस्वरूप वह सामग्री छात्र के पूर्वज्ञान का एक अंश बन जाती है। ऐसी स्थिति में पठित सामग्री के माध्यम से छात्र के अर्थग्रहण परीक्षण को पूरी तरह उसकी अर्थग्रहगण योग्यता का निरपेक्ष परिचायक नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत अपठित सामग्री छात्र के पूर्वानुभव का अंग नहीं होती, अतः उसके आधार पर मूल्यांकन से छात्र की स्वतंत्र सोच-समझ पर आधारित अर्थग्रहण योग्यता को उजागर किया जाता है। इस कारण यह माध्यम पठित सामग्री की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

अपठित गद्यांश की सामग्री के अंतर्गत लेख निबंध, समाचार, विज्ञापन आदि हो सकते हैं। अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएँ-

- पूछे गए प्रश्नों में अंतर्निहित उद्देश्य को समझकर ही प्रश्नों के उत्तर खोजे जाएँ।
- प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत सामग्री में निहित रहते हैं इसलिए गद्यांश को दो-तीन बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
- अपने उत्तरों को प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित रखना चाहिए। विषय से संबंधित पूर्वप्राप्त अन्य जानकारी के उल्लेख से बचना चाहिए, क्योंकि अर्थबोध परीक्षण का आधार प्रस्तुत सामग्री ही है।
- उत्तर लिखते सरल सरल, सुबोध, सहज भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। यथासंभव अपठित गद्य मे प्रयक्त शब्दावली के प्रयोग से बचें।

नीचे अपठित गद्यांशों और तत्संबंधी प्रश्नोत्तरों के दो उदाहरण दिए जा रहे हैं-

उदाहरण 1

तुम अपने जीवन के आगे काल्पनिक प्रश्नचिह्न क्यों लगाते हो ? जो उपस्थित नहीं उससे भय क्या ? अगर तुम्हारी कल्पना में शंकाओं एवं संदेहों के आने का मार्ग है तो इसे बंद कर दो और दूसरी ओर की खिड़की खोल लो, जिसमें से उत्साह, आशा व सफलता की बयार आती है। भिखमंगों के डर से क्या तुमने रोटी पकाना छोड़ दिया है ? मृत्यु के डर से यदि तुम जीना नहीं छोड़ते तो कठिनाइयों के डर से कार्य न करना कौन-सी बुद्धिमता है ? उस नाविक को देखो जो समुद्र में नाव खेने चला है। उसे मालूम है कि समुद्र की लहरों के थपेड़ों से उसकी नाव चकनाचूर हो सकती है, आँधी से पाल तार-तार हो सकता है, मस्तूल गिरकर टूट सकता है, पर इन सबसे घबराकर क्या वह समुद्र में जाना छोड़ दे ? समुद्र कितना ही विशाल क्यों न हो पर उसकी विशाल साहसी भुजाओं का मुकाबला कर सकने की शक्ति उसमें नहीं है। इसलिए तुम भी संसार की कर्मस्थलों में उतर आओ, अन्यथा चिंता एवं निराशा के सागर में डूब जाओगे।

प्रश्न

1. काल्पनिक प्रश्नचिह्न से क्या अभिप्राय है ?
2. लेखक ने नाविक के दृष्टांत द्वारा क्या प्रेरणा दी है ?
3. लेखक ने मनुष्य को विपत्तियों में हतोत्साह न होने के लिए कौन-कौन से दृष्टांत दिए हैं ?
4. समुद्र मनुष्य की विशाल शक्ति का मुकाबला करने में क्यों अक्षम है ?

उत्तर

1. किसी समस्या के न होने पर भी उसके होने की कल्पना कर लेना।
2. समुद्र में नाव लेकर जाने पर आने वाली विपत्तियों की संभावना के बाद भी नाविक समुद्र में नाव लेकर उतर पड़ता है-उन विपत्तियों के भाव की, आतंक की कल्पना करके हिम्मत नहीं छोड़ बैठता, हमें भी उसी प्रकार घबराए बिना संसार-सागर में उतरना चाहिए।
3. भिखमंगों के होते हुए भी भोजन का आयोजन करना, मृत्यु के भय के बावजूद जीने की कामना करना, सागर में नाव के डूब जाने की संभावना के बाद भी नाविक का समुद्र में नाव लेकर जाना।
4. मनुष्य की शक्ति समुद्र की शक्ति से कहाँ अधिक प्रबल है।

उदाहरण 2

जीवन की कला ठूँठ की तरह खड़े रहने में नहीं है; यह जो पेड़ अपनी जवानी में ही सूख गया, जानते हो क्यों ? क्योंकि इसकी जड़ों ने रस लेना बंद कर दिया था। जीवन में लहलहाने का एक ही तरीका है कि उसे विभिन्न रसों को लेने दो। एक विशेष विषय में निपुण होने का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम फुटबाल के ग्राउंड में मत जाओ, व्यापार में इतने तल्लीन मत हो जाओ कि बच्चों को भूल जाओ, पुस्तकों के कीड़े मत बन जाओ कि यार-दोस्तों की हँसी बुरी लगने लगे। जीवन में विविध रस लेना सीखो और इतना रस लो कि बुढ़ापे सकी झुर्रियों में उदासीनता और निराशा की एक झुरी भी न पड़े। रहने का तरीका यही है कि गले में संगीत हो, होंठों पर मुसकराहट हो, आँखों में हँसी हो, हृदय में उमंग हो और इस प्रकार गाते हुए बढ़ो, हँसते हुए मिलो, मुसकराते हुए विदा लो।

प्रश्न

1. लेखक के अनुसार जीने की वास्तविक कला क्या है ?
2. 'जीवन में विविध रस लेना सीखो' से क्या तात्पर्य है ?
3. व्यक्ति ठूँठ कब बन जाता है ?
4. इस गद्यांश के लिए कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइए।

उत्तर

1. जीवन में विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त करना और उनमें आनंद लेना।
2. अपने अनुभव के दायरे को किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रखकर तरह-तरह के अनुभवों से अपने जीवन को समृद्ध बनाना।
3. जब व्यक्ति अपने आपको एक खूँटे से बाँध देता है और तरह-तरह के अनुभवों से स्वयं को वंचित कर देता है, तब वह ठूँठ वृक्ष के समान हो जाता है।
4. उपयुक्त शीर्षक :
   - आनंदमय जीवन का रहस्य
   - जीने की कला।

अभ्यास-कार्य

(1)

नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ीं और क्रमशः अधिकाधिक जीव-जगत उसके संपर्क में आए। जीव-जगत के अधिक विस्तृत रूप से उसका साक्षात्कार हुआ।

इस संपर्क और साक्षात्कार के विस्तार के साथ मनुष्य के अनुभवों में भी वृद्धि हुई और उसकी चेतना अधिकाधिक विस्तृत तथा परिमार्जित होती गई। धीरे-धीरे उसमें स्मृति, इच्छा, कल्पना आदि शक्तियों का आविर्भाव हुआ और विवेक बुद्धि का विकास हुआ। आरंभ में मनुष्य अपने आस-पास के दृश्यों से ही परिचित था और उसकी इच्छाशक्ति भी वहीं सीमित थी। क्रमशः वह अदृश्य और अश्रुत वस्तुओं की कल्पना करने लगा।

उसकी इच्छाओं और अभिलाषाओं का क्षेत्र भी बढ़ा और साथ ही उसमें सुंदर-असुंदर, सत्-असत् तथा उचित अनुचित की धारणा भी बद्धमूल हुई। समय के साथ चेतना के विकसित होने के कारण उसकी बोध-वृत्ति सुव्यवस्थित तथा परिपुष्ट होती गई। मनुष्य वे संस्कारों और वृत्तियों का मनुष्य समाज से घनिष्ठ संबंध स्थापित होता गया। इन संस्कारों और वृत्तियों को ही मानव सभ्यता का मानदंड माना जाने लगा। जिस समाज की ये वृत्तियाँ जितनी अधिक व्यापक और समन्वयपूर्ण होती हैं, वह समाज उतना ही समुन्नत समझा जाता है।

प्रश्न

1. मनुष्य की चेतना उत्तरोत्तर कैसे विकसित होती गई ?
2. 'उसकी इच्छाओं और अभिलाषाओं का क्षेत्र भी बढ़ा।' इच्छाओं और अभिलाषाओं में क्या अंतर है ?
3. 'आविर्भाव' शब्द का अर्थ है (सही विकल्प के सामने (✓) का चिह्न लगाइए)

   (क) विकास

   (ख) विस्तार

   (ग) प्रकट होना

   (घ) संपर्क
4. 'इन संस्कारों और वृत्तियों को ही मानव सभ्यता का मानदंड माना जाने लगा' का अभिप्राय है कि यह माना जाने लगा कि ये संस्कार और वृत्तियाँ ही-

(क) मानव सभ्यता को जीवित रखे हुए हैं।

(ख) मानव सभ्यता को प्रेरणा देती हैं।

(ग) मानव सभ्यता को गौरव प्रदान करती हैं।

(घ) मानव सभ्यता की उन्नति की निर्धारक हैं।

5. किसी भी समाज को उन्नत समाज कब माना जाता है ?

(2)

पशु को बाँधकर रखना पड़ता है, क्योंकि वह निरंकुश है, चाहे जहाँ-तहाँ चला जाता है, इधर-उधर मुँह मार देता है। क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए ? क्या इससे उसमें मनुष्यत्व रह पाएगा। पशु के गले की रज्जु को एक हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में एक लकड़ी लेकर उसे जहाँ चाहो हाँककर ले जाओ। जिन लोगों को इसी प्रकार हाँके जाने का स्वभाव पड़ गया है, जिन्हें कोई भी जिधर चाहे ले जा सकता है, लगा सकता है, उन्हें भी पशु ही कहा जाएगा। पशु को चाहे कितना मारो, चाहे कितना उसका अपमान करो, बाद में खाने को दे दो, वह पूँछ और कान हिलाने लगेगा। ऐसे नर-पशु भी बहुत से मिलेंगे जो कुचले जाने और अपमानित होने पर भी ज़रा-सी वस्तु मिलने पर चट संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ते को कितना ही ताड़ना देने के बाद उसके सामने एक टुकड़ा डाल दो, वह झट से मार-पीट को भूलकर उसे खाने लगेगा। यदि हम भी ऐसे ही हैं तो हम कौन हैं, इसे स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं। पशुओं में भी कई पशु मार-पीट और अपमान को नहीं सहते। वे कई दिन तक निराहार रहते हैं। कई पशुओं ने तो प्राण त्याग दिए, ऐसा सुना जाता है। पर इस प्रकार के पशु मनुष्य-कोटि के हैं, उनमें मनुष्यत्व का समावेश है, यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी।

प्रश्न

1. पशु को क्यों बाँधकर रखा जाता है ?
2. किन स्थितियों में मनुष्य में 'मनुष्यत्व' नहीं रहता है ?
3. लेखक ने नर-पशुओं की क्या विशेषताएँ बताई हैं ?
4. लेखक ने किस प्रकार के पशु को मनुष्य-कोटि में रखा है ?
5. इस गद्यांश के लिए कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइए।

(च) अन्य व्यावहारिक पक्ष

फ़ोन पर प्राप्त संदेश को लिखना

आजकल चाहे गाँव हो या शहर टेलीफ़ोन का प्रचलन सब जगह बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि फ़ोन करने वाला व्यक्ति जिससे बात करना चाहता है वह फोन पर उलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होता है कि फ़ोन लेने वाला व्यक्ति फ़ोन करने वाले व्यक्ति की बात को धैर्यपूर्वक सुने और उसके संदेश को मौखिक रूप या लिखित रूप से संबंधित व्यक्ति तक पहुँचाए। नीचे इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं :

(क)

- मैं सुधांशु बोल रहा हूँ। आनंद का मित्र। आनंद होंगे क्या ?
- जी नहीं, वे इस समय ऑफिस में हैं।
- अच्छा, उन्हें बता दीजिएगा कि कल मैं शताब्दी से ग्वालियर पहुँच रहा हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी भी होगी। हो सके तो आनंद स्टेशन आ जाएँ। गाड़ी सुबह स्टेशन पहुँचती है।
- ठीक है। मैं बोल दूँगा।

लिखित टेलीफ़ोन संदेश आनंद के नाम

आपके मित्र सुधांशु जी को फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि कल सुबह शताब्दी से ग्वालियर आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें लेने स्टेशन आएँ। उनके साथ उनकी पत्नी भी होगी।

(ख)

- क्या मैं सुंदरम जी से बात कर सकता हूँ ?
- सुंदरम जी हम समय घर पर नहीं हैं। वे शाम को घर लौटेंगे। आप कौन बोल रहे हैं?
- मैं दासगुप्ता बोल रहा हूँ। उन्हें बता दीजिएगा कि मेरा फ़ोन आया था। मैं एक आदमी के हाथ शाम को उनके पास कुछ किताबें भिजवा रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे मँगवाई थीं। उन्हें कह दें कि वे पुस्तकों की पावती उसी आदमी के हाथ भिजवा दें।
- ठीक है। मैं बता दूँगी।
- धन्यवाद

लिखित टेलीफ़ोन संदेश श्री सुंदरम के लिए

आपके लिए श्री दासगुप्ता जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि वे आज शाम को एक आदमी के हाथ कुछ किताबें भिजवा रहे हैं जो आपने उनसे मँगवाई थीं। वे चाहते हैं कि आप इन किताबों की पावती उस आदमी के हाथ ही भिजवा दे।

कभी-कभी जहाँ विशेष संदेश नहीं होता वहाँ यह सूचना इस प्रकार दी जा सकती है :

1. श्री चंद्रेश शर्मा जी के लिए एक फ़ोन आया था। कृपया फ़ोन नं. 26497784 पर उनसे संपर्क कर लें।
2. सुधा जी, आपकी माता जी का फोन आया था। घर पर उनसे बात कर लें। ज़रूरी काम है।

रेलवे समय सारिणी : कैसे देखें ?

आज के युग में रेलयात्रा हमारे जीवन का एक महतवपूर्ण अंग हो गया है। चाहे हमें रेल में सफ़र करना हो, टिकट का आरक्षण कराना हो या अपने मेहमानों को लेने स्टेशन जाना हो, हमें कई बार समय सारिणी देखने की ज़रूरत पड़ती है। लोग अकसर रेलवे समय सारिणी देखने से कतराते हैं, क्योंकि इसमें दी गई सूचना को ढूँढना उन्हें मुश्किल लगता है। यदि इसकी थोड़ी-सी जानकारी हो जाए तो यह कार्य मुश्किल नहीं है। नीचे हम रेलवे की समय सारिणी का एक अंश प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे ध्यान से देखकर आप समय सारिणी में दी गई विभिन्न सूचनाओं को आसानी से समझ सकेंगे।

समय सारिणी

समय सारिणी में कई अन्य सूचनाएँ भी होती हैं जो यात्रियों के लिए महत्त्वपूर्ण होती है।

1. समय सारिणी के प्रारंभ में सभी स्टेशनों के नाम अकारादि क्रम से दिए जाते हैं। महानगरों के स्टेशनों के नाम मोटे या तिरछे अक्षरों में दिए जाते हैं।
2. हर स्टेशन के सामने उन टेबलों की संख्या दी गई होती है जहाँ उस स्टेशन से चलने वाली या वहाँ आने वाली गाड़ियों का विवरण उपलब्ध होता है। टेबल-संख्या के सामने ही उन गाड़ियों के नंबर भी दिए होते हैं जो उस स्टेशन से आती-जाती हैं। देखिए:
   भोपाल

   अमृतसर 4-1057, 2716, 42A-8237
3. हर टेबल के पहले कॉलम में दो स्टेशनों के बीच की दूरी किलोमीटर में दी गई होती है। किराए की तालिका में इन्हीं दूरियों के आधार पर दो स्टेशनों के बीच का किराया निर्धारित किया जाता है।
4. समय सारिणी में राजधानी और शताब्दी गाड़ियों का विवरण अलग से दिया होता है। इनके अलावा कई प्रकार की यात्री सूचनाएँ, पर्यटक सूचनाएँ आदि भी समय सारिणी में उपलब्ध रहती हैं।

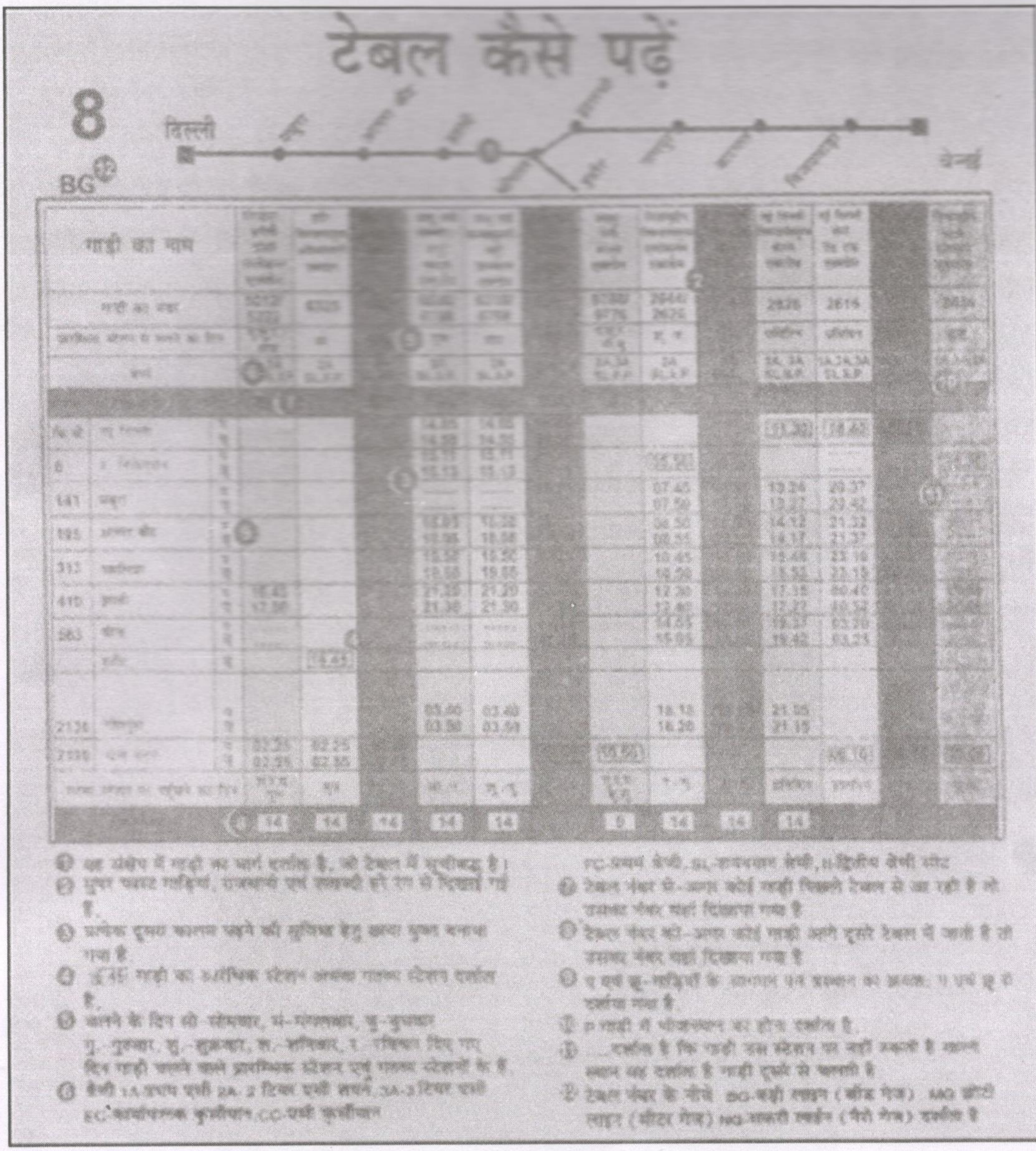

रेलवे का आरक्षण फ़ार्म : कैसे भरें ?

रेलगाड़ी आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। हमें कहीं सफ़र करना हो, सीट का आरक्षण करवाना हो, रद्द करवाना हो, आरक्षण की पुष्टि करवानी हो, गाड़ी के प्रस्थान या आगमन के बारे में पूछना हो, या किराया पूछना हो तो हमें रेल विभाग के किसी न किसी अनुभाग से संपर्क करना पड़ता है। व्यापारिक जीवन में इन सभी स्थितियों के लिए, जहाँ इन प्रक्रियाओं की जानकारी ज़रूरी है वहीं इनसे संबंधित भाषा-प्रयोग की जानकारी भी ज़रूरी है।

नीचे हम इनमें से कुछ स्थितियों से आपको परिचित कराएँगे और इनमें प्रयुक्त विशेष प्रकार की अभिव्यक्तियों का अभ्यास कराएँगे।

टिकट बुक कराना

किसी भी स्थान के लिए टिकट का आरक्षण करवाने के लिए आरक्षण कार्यालय जाकर आरक्षण पर्ची (स्लिप) भरनी पड़ती है, जिसका नमूना आगे दिया जा रहा है। आरक्षण पर्ची में निम्नलिखित सूचनाएँ भरनी पड़ती हैं :

खाली फ़ार्म

.........रेलवे

आरक्षण/रद्दकरण मांग फार्म

यदि आप डॉक्टर हैं, तो कृपया खाने में (✓) का निशान लगायें।

(आप आपातकाल में मददगार हो सकते हैं) डॉ. ☐

गाड़ी संख्या और नाम.................................यात्रा की तारीख.................

श्रेणी.................................शायिका/सीटों की सं.................

.................................स्टेशन से.................................स्टेशन तक

यात्रा आरम्भ करने का स्टेशन.................................तक आरक्षण

क्र. सं.	नाम स्पष्ट, अक्षरों में (15 अक्षरों से अधिक न हो)	लिंग पु./स्त्री	आयु	रियायत/यात्रा प्राधिकार सं.	विशेष मांग यदि कोई हो
1.					नि. वा/ऊ.वा.
2.					शाकाहारी/
3.					मांसाहारी
4.					भोजन
5.					(केवल राजधानी/
6.					शताब्दी एक्सप्रेस में)

आगे की यात्रा/वापसी यात्रा का विवरण

गाड़ी सं. और नाम.................................तारीख.................

.................श्रेणी.................स्टेशन से.................स्टेशन तक

आवेदक का नाम.................................

पूरा पता.................................

.... आवेदक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं: यदि कोई हो.................दिनांक.................समय.................

केवल सरकारी प्रयोग के लिए

मांग पत्र की क्रम सं. ....पी. एन. आर. सं. ....

शायिका/सीट सं. ....वसूल की गई रकम.................

....

आरक्षण लिपिक के हस्ताक्षर

टिप्पणी 1. अधिकतम अनुमेय यात्रियों की संख्या प्रति मांग पत्र 6 व्यक्ति।

2. एक बार एक व्यक्ति से केवल एक ही मांग पत्र स्वीकार किया जाएगा।

3. कृपया खिड़की छोड़ने से पहले अपने टिकट और शेष राशि की जाँच कर लें।

4. ठीक ढंग से न भरे हुए तथा अपठनीय फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

5. विशेष मांग पर उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

जैसा कि आप ऊपर दिए फ़ार्म में देख रहे हैं, आरक्षण पर्ची में मोटे रूप से निम्नलिखित सूचनाएँ भरने की आवश्यकता पड़ती है :

(क) गाड़ी संख्या और नाम, यात्रा की तारीख, श्रेणी, शायिकाओं या सीटों की संख्या, यात्रा अथवा आरक्षण कहाँ से कहाँ तक के लिए है।

(ख) यात्री का नाम/लिंग (पुरुष/स्त्री) उम्र, आवेदक का नाम, पता और फ़ोन नंबर। यदि यात्रा किसी पास या सरकारी सुविधा के अंतर्गत की जा रही है, तो उसका नंबर। एक आरक्षण पर्ची में अधिक से अधिक छः व्यक्तियों का आरक्षण हो सकता है। इसी फ़ार्म के नीचे एक दूसरा कालम रहता है। जहाँ यदि वापसी टिकट भी खरीदना हो तो उसकी भी सूचना भरनी पड़ती है।

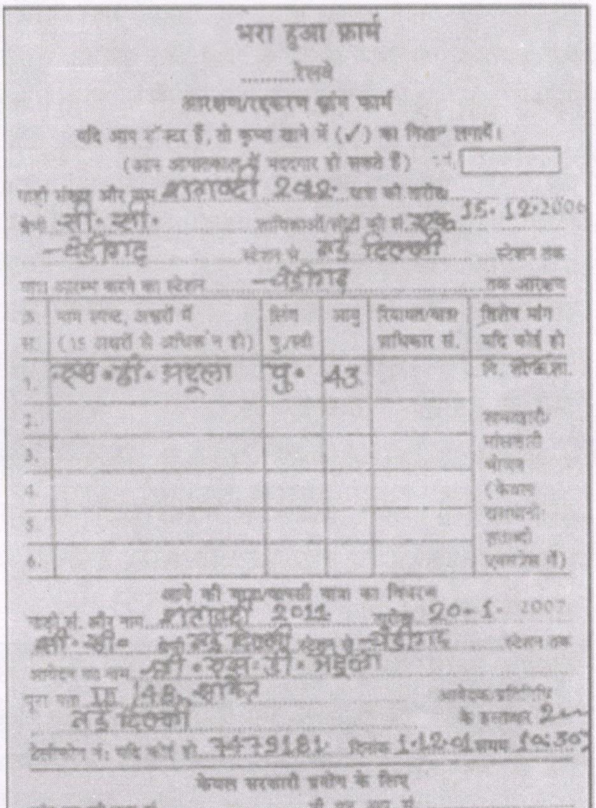
भरा हुआ फ़ार्म

......रेलवे

पहली यात्री पंक्ति: पु॰, 43

लौटने की तारीख: 20-1-2007

केवल सरकारी प्रयोग के लिए

आरक्षण लिपिक के हस्ताक्षर

इस आरक्षण पर्ची को आरक्षण काउंटर पर देने से काउंटर पर बैठा कर्मचारी आपको बताएगा कि सीट अथवा शायिका उपलब्ध है या नहीं। उपलब्ध होने पर आफ उसे पैसा देंगे और अपना टिकट लेंगे। अगर टिकट रद्‌द कराना हो तो भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी और फ़ार्म भरकर देना होगा। फ़ार्म वही होता है केवल 'आरक्षण' की जगह रद्‌द लिखना होगा।

यातायात के संकेत

आजकल यातायात के साधन इतने अधिक हो गए हैं कि हर समय सड़कों पर भागमभाग माची रहती है। मोटर, कार, स्कूटर, बस, ट्रक, टेंपो रिक्शा आदि विविध प्रकार के वाहन नगरों में दिन-रात भागते दिखाई पड़ते हैं। नगरों की ही तरह गाँवों में भी वाहनों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इस कारण आज यात्रा खतरे से खाली नहीं रही और दिन-प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका मुख्य कारण है वाहन चालकों को यातायात के नियमों और मुख्य संकेतों की जानकारी न होना। यहाँ आपकी सुविधा के लिए यातायात के प्रमुख संकेतों और सड़क-चिह्नों आदि की जानकारी दी जा रही है :

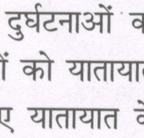

रुको : स्टॉप लाइन से कुछ पहले ही रुक जाएँ। एक-दूसरे से भी दूरी बनाए रखें ताकि सबको आगे की सड़क साफ़ दिखाई दे सके। लाल बत्ती पर आप बाएँ मुड़ सकते हैं बशर्ते ऐसा करने की मनाही वाला बोर्ड न लगा हो। मुड़ते समय पैदल चलने वालों तथा दूसरी ओर के ट्रैफिक को रास्ता दें।

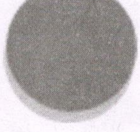

सावधान : नारंगी बत्ती का मतलब है चौराहा खाली करो, लाल बत्ती होने वाली है। अगर चौराहे पर नारंगी बत्ती के दौरान आप सड़क के बीच फँस जाते हैं तो घबराकर एक्सिलेटर न दबाएँ, बल्कि शांत रहकर चौराहा पार कर लें।

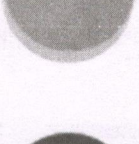

चलो : अगर सबसे आगे खड़े हैं तो हरी बत्ती होते ही तूफ़ान की तरह न उड़ें, बल्कि देखें कि दूसरी तरफ़ की सभी गाड़ियाँ निकल गई हैं क्या ?

कहीं-कहीं यदि आप बाएँ या दाएँ मुड़ना चाहते हैं तो देखिए कहीं मुड़ना मना तो नहीं। यदि नहीं तो मुड़ने से पहले पैदल चलने वालों और दूसरी दिशा से आ रहे वाहनों को रास्ता और संकेत देना याद रखें।

इनके अलावा कुछ सड़क चिह्न गोले में दिए होते हैं, जिनका पालन न करना कानूनन अपराध होता है। ये अनिवार्य सड़क चिह्न होते हैं :

प्रवेश निषेध   एकतरफा यातायात   दोनों तरफ वाहन निषेध   सभी मोटर वाहन निषेध

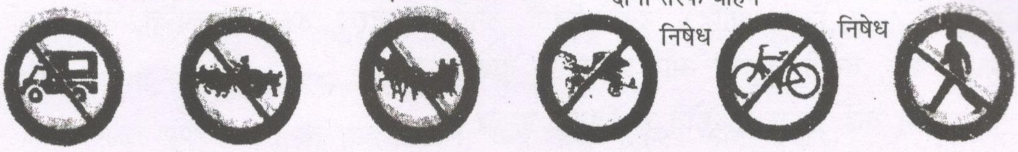

ट्रक निषेध   बैलगाड़ी निषेध   तांगा निषेध   हाथगाड़ी निषेध   साईकिल निषेध   पैदल निषेध

दाहिने मुड़ना निषेध   बाएं मुड़ना निषेध   चिमटा मोड़ मुड़ना निषेध   ओवरटेक निषेध   हॉर्न बजाना निषेध

इसी प्रकार कुछ सड़क चिह्न चेतावनी या सूचना के लिए होते हैं जो यात्रियों या वाहन चालकों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनमें से कुछ खास चेतावनी तथा सूचना चिह्न नीचे दिए जा रहे हैं :

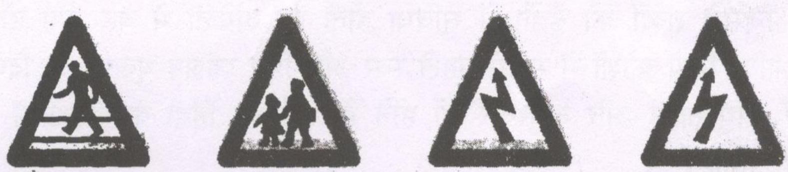

पैदल पारक   आगे स्कूल है   टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता दायाँ   टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता बायाँ

इन चिह्नों से आपका हाइ-वे पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओ आदि की सूचना मिलती है और ये हमेशा नीली पष्ठभमि में होते हैं।

सार्वजनिक दूरभाष   पैट्रोल पंप   अस्पताल   प्राथमिक चिकित्सा केंद्र   भोजनालय

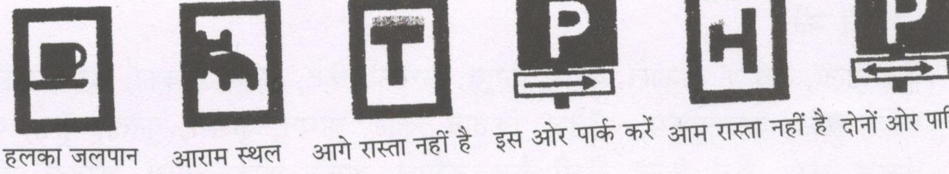

हलका जलपान   आराम स्थल   आगे रास्ता नहीं है   इस ओर पार्क करें   आम रास्ता नहीं है   दोनों ओर पार्किंग

कोश देखना

समय-समय पर सभी व्यक्तियों को शब्द-कोश देखने की आवश्यकता पड़ती है। कोश हमें मुख्य रूप से शब्दों के अर्थ और भाषा में उनके विभिन्न प्रयोगों की जानकारी देता है। इसमें हमें शब्दों से संबंधित कई तरह की और सूचनाएँ भी मिलती हैं; जैसे-शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ (संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि), उनके लिंगों, उनके उच्चारण, उनकी व्युत्पत्ति, उनके विभिन्न व्युत्पन्न रूप, वर्तनी मुहावरे और प्रयोग के दृष्टांत वाक्य।

कोश कई प्रकार के होते हैं जिनमें प्रमुख हैं-

1. एक भाषा कोश (हिंदी-हिंदी, अंग्रेज़ी-अंग्रेज़ी)
2. द्विभाषा कोश (हिंदी-अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी-हिंदी)
3. बहुभाषा कोश (दो से अधिक भाषाओं के समन्वित कोश)
4. विश्व कोश (विभिन्न विषयों/शीर्षकों से संबंधित ज्ञानात्मक सूचनाएँ)
5. थिसॉरस (एक ही भाषा में शब्दों के पर्यायों संबद्ध शब्दों तथा रूपों की सूचना)

चाहे कोश किसी भी प्रकार का हो, सभी में शब्दों को अकारादि क्रम में ही प्रस्तुत किया जाता है, जिससे शब्दों को ढूँढने में सुविधा होती है। अंग्रेज़ी में यह क्रम होता है, a, b, c, d, e, f आदि। हिंदी कोशों में सबसे पहले स्वर और फिर व्यंजन युक्त शब्द दिए जाते हैं। हिंदी में मात्राएँ, संयुक्ताक्षर और अनुस्वार भी होते हैं, इसलिए हिंदी के कोशों में वर्णक्रम योजना इस प्रकार होती है :

वर्ण योजना

स्वर अँ/अं अः अ आँ/ आं आ ऑ इं इ ईं ई उँ/उं उ ऊँ/ ऊं ऊ ऋ एँ/ एं ए ऐं ऐ ओं ओ औं औ।

व्यंजन क क्ष ख ग घ च छ ज/ज़ ज्ञ झ ट ठ ड/ड़ ढ/ढ़ ण त त्र थ द ध न प फ/फ़ ब भ म य र ल व श श्र ष स ह।

उदाहरण

1. कँ/कं कः क काँ/कां का किं कि कीं की कुँ/कुं कु कूँ/कूं कू कृं कृ कें के कैं कै कों को कौं कौ।
2. कँकड़ीला, कंकण, कंकाल, कंगन, कंगूरा, कंचुकी, कंट, कंठ्य, कक्का, कक्षा, कलाकार, काँच, कांत, कालानुक्रम, कॉलेज, किताब, कीट, कुंचन, कुंडल, कुत्ता, कूँज, कूदना, कृंतक, कृपा, केंद्र, केला, कैंची कैद, कोंपल, कोटि, कोड़ा, कौंध, कौतुक, कौशल,

कौषेय, कौस्तुभ, क्यारी, क्यों, क्रंदन, क्रम, क्रांति, क्रिया, क्रीड़ा, कुद्ध, क्रूर, क्रेता, क्रोध, क्रौंध, क्लांति, क्लिष्ट, क्वण, क्वाँरा, क्षण, क्षत्रिय, क्षमा, क्षय, क्षरण, क्षितिज, क्षीण, क्षुद्र, क्षेत्र, क्षैतिज, क्षोभ, क्षौर।

सामान्य नियम

1. कोश के वर्णक्रम में पूर्ण अक्षर से पहले अनुनासिक एवं अनुस्वार चिह्न ँ, ं युक्त वर्ण आएगा; जैसे–हँस, हंस, हस, हास, ह्रास।
2. आधे अक्षर पूर्ण अक्षरों के बाद आएँगे; जैसे–कर, कर्कट, कौन, क्या।
3. संयुक्ताक्षरों का वर्णाक्रम उनके घटकों के क्रम से निर्धारित होता है,
   जैसे–क्ष = क् + ष, त्र = त् + र, ज्ञ = ज् + ञ, श्र = श् + र,
   क्रम = क् + र + म, कर्म = क + र्+ म, द्ध (द्‌ध) = द् + ध,
   द्व (द्‌व) = द् + व, द्य (द्‌य) = द् + य